

v//; k; -II
fcØh] 0; ki kj vkfn ij dj

2-1 dj i t kkl u

बिक्री कर/ मूल्य सर्वार्थित कर के कानून एवं उसके अधीन बने नियम, सरकार के स्तर पर प्रमुख सचिव (वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर) उत्तर प्रदेश द्वारा प्रशासित होते हैं। वाणिज्य कर विभाग का सम्पूर्ण नियंत्रण कमिशनर वाणिज्य कर (क0वा0क0) उत्तर प्रदेश में निहित है। जिनकी सहायता 100 एडीशनल कमिशनरों, 157 ज्वाइन्ट कमिशनरों (ज्वा0क0), 494 डिप्टी कमिशनरों (डि0क0) 964 असिस्टेन्ट कमिशनरों (असि0क0) एवं 1,275 वाणिज्य कर अधिकारियों (वा0क030) द्वारा की जाती है। जिनकी सहायता सुसंगत कर विधियों एवं नियमों को लागू करने में सम्बद्ध कर्मचारियों द्वारा उनकी सहायता की जाती है।

2-2 y[kki jh{k k d[i f] .kke

विभाग ने वर्ष 2013–14 में ₹ 39,645.45 करोड़ के राजस्व की वसूली की। वर्ष 2013–14 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर से सम्बन्धित 1,647 ईकाइयों में से 576 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में कर का अवनिर्धारण और अन्य अनियमतताओं के ₹ 727.69 करोड़ के 2,789 मामले शामिल हैं, जो निम्नाखिलित श्रेणियों के अन्तर्गत। **kj.kh 2.1**

y[kki jh{k k d[i f] .kke

| ०० ० | Jf.k; kj | ekeyka dh f; k | (₹ dj KM e) |
|--------|---|---------------------|-------------|
| 1 | I del I fonk e[dj dk fu/kkj .k] v[kjks .k , oa I xg.k ¼ d fu"i knu y[kki jh{k k | 1 | 17.86 |
| 2 | कर का अवनिर्धारण | 884 | 147.87 |
| 3 | त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्र की स्वीकार्यता | 21 | 0.59 |
| 4 | खरीद/बिक्री छिपाये जाने से करापवंचन | 10 | 0.10 |
| 5 | आई०टी०सी० की अनियमित/गलत/आविष्य की अनुमन्यता | 222 | 37.55 |
| 6 | अन्य अनियमितताएं ; kx | 1,651 | 523.72 |
| | | 2,789 | 727.69 |

स्रोत: लेखापरीक्षा कायोलय में उपलब्ध सूचना।

वर्ष के दौरान विभाग ने 406 मामलों में ₹ 1.74 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें छ: मामलों में ₹ 58,803 सन्निहित था, वर्ष 2013–14 में इंगित किये गये थे तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों के थे। 406 मामलों में ₹ 58,43 लाख की वसूली की, जिसमें से छ: मामले में ₹ 58,803 सन्निहित था जो वर्ष 2013–14 में इंगित किये गये थे। शेष मामलों में विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

****I del I fonk e[dj dk fu/kkj .k] v[kjks .k , oa I xg.k**** पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सन्निहित राशि ₹ 17.86 करोड़ एवं कुछ अन्य निदर्शी मामले जिनमें ₹ 54.26 करोड़ सन्निहित हैं, कि चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गयी हैं।

2-3 ^I del I fonk e[dj dk fu/kkj .k] v[kjks .k , oa I xg.k^ i j fu"i knu y[kki jh{k k

i ed[k vdk

- समाधान राशि के कम आरोपण के फलस्वरूप ₹ 7.05 करोड़ समाधान राशि की कम वसूली।

- करयोग्य आवर्त के गलत निर्धारण एवं कर की गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप ₹ 41.44 लाख कर न/कम आरोपित हुआ।

1/1 Lrj 2-3-8½

- बिना टी०डी०एस० प्रमाण पत्र नियमित प्रारूप में प्रस्तुत किये बिना 23 संविदाकारों को ₹ 3.35 करोड़ के कर का अनियमित लाभ दिया गया।

1/1 Lrj 2-3-9½

- 69 संविदाकारों को ₹ 2.84 करोड़ के कर की अनियमित वापसी कर अनुचित वित्तीय लाभ दिया।

1/1 Lrj 2-3-10½

- संकर्म संविदा पर कर का विलम्ब से जमा करने और धारा 54 (1) के प्रावधान के उल्लंघन के लिए ₹ 16.56 करोड़ का अर्थदण्ड नहीं लगाया गया।

1/1 Lrj 2-3-11½

- केन्द्रीय पंजीयन में पूंजिगत माल के क्रय हेतु अनियमित रूप से अधिकृत करने के फलस्वरूप 31 संविदाकारों को ₹ 1.42 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।

1/1 Lrj 2-3-12-1½

- फार्म सी घोषणा पत्र के दुरुपयोग के लिये के०बि०क० के अन्तर्गत ₹ 95.40 लाख अर्थदण्ड का अनारोपण/कम आरोपण।

1/1 Lrj 2-3-12-2½

- 17 व्यापारियों के मामले में ₹ 60.40 लाख के प्रवेश कर का अनारोपण।

1/1 Lrj 2-3-13½

- अपंजीकृत संविदाकारों को चिह्नित करने के लिए सर्वेक्षण की पद्धति अपर्याप्त थी। क्योंकि 69 कार्यालयों में से केवल पाँच वाणिज्य कर कार्यालयों में सर्वेक्षण किया गया एवं वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि में इन पाँच कार्यालयों में केवल 25 अपंजीकृत संकर्म संविदाकारों का पता लगा था।

1/1 Lrj 2-3-15-3½

2-3-1 i Lrkouk

संविधान (46 वां संशोधन) अधिनियम 1982 द्वारा किये गये संशोधन द्वारा राज्यों को संकर्म संविदा के सौदों पर कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश व्यापार कर (उ०प्र० व्या०क०) अधिनियम 1948 की धारा 2(ड) तथा उत्तर प्रदेश मूल्य सर्वधैर्यत कर (उ०प्र० मू०स०क०) अधिनियम 2008 की धारा 2(कप) के अनुसार संकर्म संविदा के अंतर्गत नकद आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति के भवन निर्माण, विनिर्माण, प्रसंस्करण ढाँचा परिनिर्माण संस्थापन, ठीक-ठाक करना, सज्जीकरण सुधार उपान्तरण, मरम्मत या चालू करने के लिए निष्पादित करने हेतु कोई अनुबन्ध सम्मिलित है। उ०प्र० व्या०क० की धारा 2(ग) (vii) तथा उ०प्र० मू०स०क० अधिनियम की धारा 2(ज) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो संकर्म संविदा के निष्पादन में लगा हो, एक संकर्म संविदाकार है। संविदी से तात्पर्य परियोजना का स्वामी (जिसे ग्राहक या प्रमुख कहा जाता है) या अन्य कोई जो संविदा के कार्य निष्पादन के लिए संविदाकार के साथ अनुबन्ध करता है। संकर्म संविदा पर कर 31 दिसम्बर 2007 तक उ०प्र०व्या०क० अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित किया जाता था तथा 1 जनवरी 2008 से मू०स०क० अधिनियम के अन्तर्गत कर आरोपित किया जाता है।

उ०प्र०व्या०क० एवं उ०प्र०मू०स०क० अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत संविदाकारों पर कर का आरोपण या तो विभिन्न दर सूची की अनूसूची में वर्णित दरों पर या

समय—समय पर शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी समाधान योजना के आधार पर किया जाता है। नियमित कर निर्धारण उ0प्र0व्या0क0 नियमावली के नियम 41(8) तथा उ0प्र0 मू0सं0क0 की धारा 28(2) के अन्तर्गत किया जाता है। उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 7-घ एवं उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 6 के अनुसार इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्ध में निहित किसी बात के होते हुए भी लेकिन इस धारा के अन्य उपबन्धों और राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन रहते हुए, कर निर्धारण अधिकारी उसके विक्रय आवर्त पर या तो एक मुश्त या कर के स्थान पर सहमत दर पर समाधान राशि स्वीकार करने के लिए सहमत हो सकता है, जो व्यापारी द्वारा ऐसे माल के या माल के वर्ग के सम्बन्ध में और ऐसी अवधि के लिए जिस पर सहमति हुई हो, देय हो सकती है। उ0प्र0 व्या0क0 अधिनियम एवं उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम दोनों में, कर के संग्रहण की प्रक्रिया को निष्पादित कराने तथा करापवंचन रोकने के उद्देश्य से, प्रत्येक व्यक्ति संविदाकार को चाहे साख द्वारा या नकद रूप में या किसी अन्य रीति से भुगतान करते समय शासन द्वारा विनिर्दिष्ट दर से कर की कटौती करेगा। यदि संविदाकार या संविदी अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसके लिए शास्ति का प्रावधान है तथा यदि कर विलम्ब से जमा होता है तो विभिन्न दरों से व्याज भी आरोपणीय होता है।

प्रत्येक व्यापारी जिसका सकल आवर्त उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 3(2)(घ) के अनुसार ₹ तीन लाख या अधिक हो तथा उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 3(4) के अनुसार जिसका आवर्त ₹ पाँच लाख या अधिक हो तो उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम में धारा 8 के अन्तर्गत तथा उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम में धारा 17 के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने एवं अधिनियम में विहित दर से कर के भुगतान करने का दायी है।

2-3-2 I **akBukRed <kpk**

शासन स्तर पर नीति निर्धारण, निगरानी एवं नियंत्रण का कार्य प्रमुख सचिव वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कर विभाग का सम्पूर्ण रूप से नियंत्रण एवं निर्देशन का दायित्व कमिश्नर वाणिज्य कर (कमि0वा0क0) उत्तर प्रदेश के पास है, जिनका मुख्यालय लखनऊ में है।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के लागू होने के पश्चात, भौगोलिक रूप से विभाग को 20 जोनों में बांटा गया है। प्रत्येक जोन एक एडिशनल कमिश्नर के अधीन है। पुनः, इन जोनों को 45 सम्भागों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक सम्भाग एक ज्वाइन्ट कमिश्नर के अधीन है। इन 45 सम्भागों में कुल 436 खण्ड कार्यरत हैं एवं प्रत्येक खण्ड एक डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेन्ट कमिश्नर के अधीन है।

2-3-3 ys[kki jh{kk ds mnns' ;

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के टृट्टिकोण से सम्पादित की गयी थी कि क्या

- संकर्म संविदा पर कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण के लिए अधिनियम के अन्तर्गत बनाय गये नियमों एवं प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन हो रहा है।
- संविदी द्वारा संकर्म संविदाकारों से स्रोत पर कर की कटौती (टी0डी0एस0) की जा रही है एवं कोषागार में समय से जमा की जा रही है तथा की गयी वापसी, प्रावधानों के अनुसार है।
- विभाग में कोई आन्तरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि समय—समय पर अपंजीकृत व्यापारियों का पंजीयन किया जा रहा है एवं देय कर तत्परतापूर्वक एवं दक्षता पूर्वक वसूल किया जा रहा है।

2-3-4 ys[kki jh{kk ds ekun.M

निष्पादन लेखापरीक्षा के विषय के लिए लेखापरीक्षा का मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किया गया है:

- उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम 1948, उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम 2008 एवं इसके अधीन बनायी गयी नियमावली।
- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 एवं उसके अधीन बनायी गयी नियमावली।
- उत्तर प्रदेश माल के स्थानीय क्षेत्र मे प्रवेश पर कर अधिनियम 2007।
- शासन/विभाग द्वारा समय—समय पर जारी विज्ञप्तियां एवं परिपत्र।

2-3-5 yq[kkijh{kk dk dk; l {ks= , oa dk; l i) fr

हमने अगस्त 2013 और जून 2014 के मध्य निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पादित की। निष्पादन लेखापरीक्षा का आधार वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत संविदाकारों की कर निर्धारण पत्रावलियां हैं। वाणिज्य कर विभाग के पास उनके यहां पंजीकृत संविदाकारों का कोई अलग से डाटाबेस नहीं है। तथापि लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध 274 वाणिज्य कर कार्यालयों में पंजीकृत 1,228 संविदाकारों की सूची¹ में से, हमने 127 संविदी² एवं 632 संविदाकारों को आच्छादित करते हुए 759 व्यापारियों के अभिलेखों की नमूना जाँच की। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान चिह्नित किये गये 18 अन्य संकर्म संविदाकारों से सम्बन्धित अभिलेखों की भी जाँच की गयी। इकाईयों का प्रतिदर्श चयन संविदाकारों की अधिकतम संख्या के आधार पर किया गया था। यह मामले 14 जोनों³ में 15 जिलों⁴ के 69 वाणिज्य कर कार्यालयों⁵ से सम्बन्धित थे। निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा निस्तारित मू0सं0क0 एवं उत्तर प्रदेश व्यापार कर के कर निर्धारण मामलों को लिया गया है। नमूना जाँच किये गये संविदाकारों तथा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भुगतान किये गये कर का विवरण।

I kj . kh 2-2

I fonkdjk;k , oa dj dk fooj . k

| o"l | I fonkdjk@ I fonh dh dly I ; k | I fonh dh I ; k | I fonkdjk;k dh I ; k | I fonkdjk;k@ I fonh }jk tek fd;k x; k dly dj | I fonh }jk tek dy dj | I fonkdjk;k }jk tek dy dj | | |
|---------|--------------------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | | | | Lkel/kku ; kstuk vi uk; s x; s | Lkel/kku ; kstuk ugha vi uk; s x; s | |
| 2010-11 | 658 | 127 | 365 | 166 | 42.34 | 7.91 | 11.95 | 22.48 |
| 2011-12 | 769 | 127 | 469 | 173 | 117.50 | 9.54 | 43.00 | 64.96 |
| 2012-13 | 768 | 127 | 463 | 178 | 204.55 | 9.72 | 53.95 | 140.88 |
| 2013-14 | 777 | 127 | 388 | 262 | 132.11 | 3.32 | 42.82 | 85.97 |
| | | | | | 496.50 | 30.49 | 151.72 | 314.29 |

स्रोत: संविदाकारों/संविदी की कर निर्धारण पत्रावलियां।

¹ वर्ष 2012–13 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से एवं प्रत्यक्ष कर शाखा, सा0क्षे0उ0 (प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 डिस्काम सहित, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन, उ0प्र0 सेतु निगम, उ0प्र0 जल निगम, उ0प्र0 समाज कल्याण निगम तथा आयुक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद उ0प्र0 का कार्यालय) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची।

² दुर्ग अभियन्ता (4 कार्यालय), भारतीय रेलवे (3 कार्यालय), सिंचाई विभाग (15 कार्यालय), भा0रा0रा0प्रा0 (1 कार्यालय), लो0नि0वि0 (29 कार्यालय), ग्रा0अभि0से0(2 कार्यालय), पावर कारपोरेशन का विद्युत/यात्रिकी खण्ड (17 कार्यालय), मण्डी परिषद (2 कार्यालय), नगर निगम (6 कार्यालय), उ0प्र0 आ0एवं विध0 (5 कार्यालय), एवं अन्य निगमों (43 कार्यालय)।

³ जोनों के नाम (इकाईयों की संख्या)— इलाहाबाद (2), बरेली (4), गौ0बु0 नगर (8), गाजियाबाद—I (5), गाजियाबाद-II (2), गोरखपुर (3), झांसी (9), कानपुर-II (6), लखनऊ—I (8), लखनऊ-II (7), मुरादाबाद (8), मेरठ (2), सहारनपुर (4), वाराणसी-II (1)।

⁴ इलाहाबाद, बलिया, बांदा, बरेली, बस्ती, गौ0बु0 नगर, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रायबरेली एवं रामपुर।

⁵ डिं0क0 एवं असि0क0 खण्ड 12 इलाहाबाद, डिं0क0 खण्ड 3 बलिया, डिं0क0 खण्ड 2, असि0क0 खण्ड 1 व 2 बांदा, डिं0क0 खण्ड 3, 6 व 8, असि0क0 खण्ड 3 बरेली, डिं0क0 खण्ड 1 व 3, असि0क0 खण्ड 1 व 3 बस्ती, डिं0क0 खण्ड 2 व 3, असि0क0 खण्ड 2 व 3 गौ0बु0 नगर, डिं0क0 खण्ड 9, 11, 12 व 16, असि0क0 खण्ड 3, 4 व 16 गाजियाबाद, डिं0क0 खण्ड 4, 5 व 6 असि0क0 खण्ड 5, 6 व 8 झांसी, डिं0क0 खण्ड 16, 27 व 29, असि0क0 खण्ड 17, 24 व 27 कानपुर, डिं0क0 खण्ड 10, 12, 13, 20, 21 व 22, असि0क0 खण्ड 3, 4, 12, 13, 16, 18 व 20 लखनऊ, डिं0क0 एवं असि0क0 खण्ड 10 मेरठ, डिं0क0 खण्ड 5 व 9, असि0क0 खण्ड 5 व 9 मुरादाबाद, डिं0क0 खण्ड 4 व 7 असि0क0 खण्ड 4 व 8 मुजफ्फरनगर, डिं0क0 खण्ड 10, 11 व 12, असि0क0 खण्ड 8 नोयडा, डिं0क0 खण्ड एवं असि0क0 खण्ड 1 रायबरेली एवं डिं0क0 खण्ड 2 व 3, असि0क0 खण्ड 1 व 2 रामपुर।

हमने विशेष सचिव, वाणिज्य कर उ0प्र0 शासन एवं कमिश्नर वाणिज्य कर विभाग के साथ 5 दिसम्बर 2013 को प्रारम्भिक गोष्ठी आयोजित की, जिसमें विभाग को लेखापरीक्षा के कार्य क्षेत्र एवं कार्यपद्धति के बारे में अवगत कराया गया था। हमने एक समापन विचार गोष्ठी शासन एवं विभाग के साथ 17 अक्टूबर 2014 को आयोजित की जिसमें विशेष सचिव, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन एवं एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर विभाग के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा की गयी। शासन/विभाग का उत्तर प्रासंगिक प्रस्तरों में सम्मिलित कर लिया गया है।

2-3-6 vfHkLohdfr

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सूचना एवं अभिलेखों को उपलब्ध कराने के लिए दिये गये सहयोग हेतु वाणिज्य कर विभाग का आभार व्यक्त करता है।

ys[kki j h{kk ds fu"d"kl

2-3-7 I ek/kku ; kstuk ds fØ; klo; u eš i k; h x; h vfū; ferrk; s

2-3-7-1 m0i De0l 0d0 vf/kfu; e ds vUrxIr I ek/kku jkf'k dk de vkjkš .k

- उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम 2008 की धारा 6 के अन्तर्गत सिविल संकर्म संविदाकारों के लिए 9 जून 2009 को लागू की गयी समाधान योजना के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई संविदाकार वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादित ठेके की धनराशि का पाँच प्रतिशत तक प्रान्त के बाहर से आयातित वस्तुओं का प्रयोग करता है, तो समाधान राशि की दर दो प्रतिशत होगी तथा यदि कोई संविदाकार पाँच प्रतिशत के ऊपर प्रान्त बाहर से आयातित वस्तुओं का प्रयोग करता है तो समाधान राशि की दर वित्तीय वर्ष के दौरान संविदाकार द्वारा निष्पादित ठेकों के विरुद्ध प्राप्त भुगतान का छः प्रतिशत होगी।

पाँच वाणिज्य कर कार्यालयों की संविदाकारों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश, प्रान्त बाहर की वस्तुओं का उपभोग विवरण एवं पत्रावलियों की जाँच के दौरान हमने पाया कि नमूना जाँच किये गये 469 संविदाकारों में से आठ सिविल संविदाकारों ने संकर्म संविदा के निष्पादन में ₹ 14.95 करोड़ की आयातित वस्तुओं का उपभोग किया जो कि वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान निष्पादित संविदा राशि ₹ 172 करोड़ का पाँच प्रतिशत से अधिक था। चूंकि संकर्म संविदा के निष्पादन में आयातित वस्तुओं का प्रयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संविदागत मूल्य का पाँच प्रतिशत से अधिक था अतः छः प्रतिशत की दर से ₹ 10.32 करोड़ की समाधान राशि आरोपणीय थी। तथापि, मार्च 2012 से दिसम्बर 2013 के बीच कर निर्धारण निस्तारित करते समय कर निर्धारण अधिकारी ने दो प्रतिशत की दर से ₹ 3.44 करोड़ समाधान राशि आरोपित की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.88 करोड़ की समाधान राशि का कम आरोपण हुआ। विवरण i fjf'k"V&II में दर्शाया गया है।

एक निदर्शी मामला निम्नवत है: डिओकमि० खण्ड-9 वा०क० गाजियाबाद के कार्यालय के एक संविदाकार ने वर्ष 2009–10 के दौरान ₹ 42.94 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया तथा ₹ तीन करोड़ (6.98 प्रतिशत) की आयातित सामग्री का उपयोग किया, जो प्राप्त भुगतान का पाँच प्रतिशत से अधिक था अतः इस मामले में छः प्रतिशत की दर से ₹ 2.58 करोड़ समाधान राशि आरोपणीय थी, किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने दो प्रतिशत की दर से ₹ 85.89 लाख समाधान राशि आरोपित की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.72 करोड़ की समाधान राशि कम आरोपित की गयी।

समापन विचार गोष्ठी में शासन ने बताया कि सभी मामलों में कार्यवाही प्रचलित है।

- उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम 2008 की धारा 6 के अन्तर्गत सिविल संकर्म संविदाकारों के लिए 9 जून 2009 को समाधान योजना लागू की गयी थी। 30 दिसम्बर

2010 से सिविल संकर्म संविदाकारों के लिए समाधान राशि की दर पुनरक्षित कर दो प्रतिशत से चार प्रतिशत कर दी गयी।

दो वाणिज्य कर कार्यालयों (डिं० कमि० खण्ड-2 गौतमबुद्ध नगर तथा डिं० कमि० खण्ड-20 लखनऊ) में हमने पाया कि दो संविदाकारों को 29 दिसम्बर 2010 के पश्चात अनुबन्ध दिया गया था। जिसमें ₹ 2.65 करोड़ का सकल आवर्त निहित था, जिस पर चार प्रतिशत की पुनरीक्षित दर से ₹ 10.62 लाख समाधान राशि आरोपणीय थी किन्तु मार्च 2013 एवं मार्च 2014 के बीच कर निर्धारण निस्तारित करते समय कर निर्धारण अधिकारी ने पुनरीक्षण पूर्व की दर दो प्रतिशत से ₹ 5.31 लाख समाधान राशि का कम आरोपण हुआ।

समापन विचार गोष्ठी में शासन ने बताया कि सभी मामलों में कार्यवाही प्रचलित है।

- उ०प्र० मू०सं०क० अधिनियम 2008 की धारा 6 के अन्तर्गत अविभाज्य सिविल संकर्म संविदाकारों के लिए 9 जून 2009 को समाधान योजना लागू की गयी थी। आपूर्ति के मामले में व्यापारी उ०प्र० मू०सं०क० अधिनियम की धारा 4 के अनुसार अपने विक्रय आवर्त पर कर के भुगतान का दायी होगा।

तीन वाणिज्य कर कार्यालयों के संविदाकारों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच के दौरान हमने पाया कि नमूना जाँच किये गये 469 संविदाकारों में से तीन संविदाकारों ने समाधान योजना अपनायी और ₹ 74.83 लाख की सामग्री की आपूर्ति की। चूंकि अनुबन्ध विशुद्ध रूप से आपूर्ति के लिए था अतः समाधान योजना के अन्तर्गत कर निर्धारण का विकल्प लागू नहीं था। नवम्बर 2011 तथा अप्रैल 2012 के मध्य कर निर्धारण का निस्तारण करते समय सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी ने इन मामलों को गलत तरीके से समाधान योजना के अन्तर्गत निर्धारण किया। चूंकि कार्य की प्रकृति आपूर्ति की थी, अतः आपूर्ति की गयी वस्तु पर दर सूची के अनुसार कर आरोपणीय था। इसके फलस्वरूप ₹ 4.36 लाख कर कम आरोपित हुआ जैसा कि । kj . kh 2-3 में वर्णित है।

I kj . kh 2-3

I ek/kku ; kst uk ds vUrxlr vfu; fer dj fu/kkj . k

(₹ yk[k e)

| ००१ ऊ | bdkbZ dk uke 0; ki kj ch I q; k | dj fu/kkj . k o"kl'kj fu/mj . k dk ekg , oa o"klz | dj ; kj; vkorl | oLrq | vkj kj . kh; dj Vi fr'kr'k | vkj kj . kh; dj ch /kuj kf'k | vkj kf'k Vi fr'kr'k | vkj kf'k dj ch /kuj kf'k | de vkj kf'k dj |
|-------|--|--|----------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1 | असिं०कमि० खण्ड- 12 इलाहाबाद | 1 2009-10 (नवम्बर 2011) | 41.09 | ग्रिट | 4.0 | 1.64 | 2 | 0.82 | 0.82 |
| 2 | डिं०कमि० खण्ड-1 बस्ती | 1 2008-09 (अप्रैल 2012) | 22.49 | स्टोन बैलास्ट | 12.5 | 2.81 | 2 | 0.45 | 2.36 |
| 3 | डिं०कमि० खण्ड-21 लखनऊ | 1 2008-09 (जनवरी 2012) | 11.25 | स्टोन बैलास्ट | 12.5 | 1.41 | 2 | 0.23 | 1.18 |
| | ; kjx | 3 | 74.83 | | | 5.86 | | 1.50 | 4.36 |

ज्ञात: कर निर्धारण पत्रावलियाँ।

समापन विचार गोष्ठी में शासन ने बताया कि सभी मामलों में कार्यवाही प्रचलित है।

2-3-7-2 m0i ० ०; ki kj dj vf/kfu; e ds vUrxlr I ek/kku jkf'k dk de
vkj kj . k

उ०प्र०व्या०क० अधिनियम की धारा 7 घ के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई व्यापारी उसके द्वारा देय कर के बदले में समाधान राशि भुगतान करने का विकल्प ले सकता है। शासन द्वारा विद्युत संविदाकारों के लिए लागू समाधान योजना संख्या शोध-समाधान, (विद्युत संविदाकार समाधान) 93-94/1042/बि०क० दिनांक 20 अक्टूबर 1993 के अन्तर्गत, यदि कोई संविदाकार उत्तर प्रदेश व्यापार कर अवधि में, फार्म 'सी' या आयात घोषणा पत्र फार्म XXXI तथा मू०सं०क० अवधि में आयात घोषणा पत्र फार्म XXXVIII

का प्रयोग करता है तो 31 जनवरी 2005 तक समाधान राशि की गणना तीन प्रतिशत की दर से की जायेगी तथा 1 फरवरी 2005 से विज्ञप्ति सख्ता क0नि0-2-271/X दिनांक 2 फरवरी 2005 द्वारा यह पुनरीक्षित करके चार प्रतिशत कर दिया गया था। यदि संविदाकार उक्त फार्म का प्रयोग नहीं करता है, तो यह राशि क्रमशः एक प्रतिशत एवं दो प्रतिशत होगी।

तीन वाणिज्य कर कार्यालयों के संविदाकारों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच के दौरान हमने पाया कि नमूना जाँच किये गये 469 संविदाकारों में से तीन विद्युत संविदाकारों ने उ0प्र0व्या0क0 0 अवधि में एक फरवरी 2005 के पश्चात उनको दिये गये अनुबन्धों के निष्पादन में घोषणा पत्रों के विरुद्ध राज्य के बाहर से विद्युत सामग्रियों का आयात एवं उपभोग किया। अगस्त 2010 तथा मई 2012 के मध्य ₹ 6.93 करोड़ कर योग्य आवर्त वाले इन विद्युत संविदाकारों का कर निर्धारण का निस्तारण करते समय कर निर्धारण आधिकारी ने चार प्रतिशत की सही दर से ₹ 27.74 लाख के स्थान पर दो प्रतिशत (कर चार प्रतिशत की दर से आरोपित किया जाना था क्योंकि संविदाकारों ने आयात घोषणा पत्रों का प्रयोग किया था) तथा तीन प्रतिशत (पुनरीक्षित दर लागू की जाने योग्य थी क्योंकि अनुबन्ध एक फरवरी 2005 के पश्चात दिया गया था) की दर से ₹ 20.41 लाख समाधान राशि आरोपित किया, इसके फलस्वरूप ₹ 7.33 लाख की समाधान राशि कम आरोपित की गयी जैसा कि । kj . kh 2-4 में दर्शाया गया है।

I kj . kh 2-4
fo | f | fonkdkjkls ds fy; s | ek/kku jkf'k dk de vklkj . k

| र यक्क ए | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------|---------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 00 | dk; kly; dk uke | 0; ki kjh dh; l kl; k | dj fu/kkj .k o"kl ydj fu/kkj .k vkn's k dk ekg , oa o"klz | dj ; kl; vkorl | mi ; lks fd; s x; s i j = | vkj ksl .kh; @ dij dh nj kl fr'kr e | vkj ksl .kh; dij dh /kuj kf'k | vkj kfir dij dh nj | vkj kfir dij dh /kuj kf'k | de vkj kfir dj |
| 1 | डिंक0 खण्ड-3 गौतमबुद्ध नगर | 1 | 2008-09 (फरवरी 2012) | 39.53 | XXXVIII | 4 | 1.58 | 2 | 0.79 | 0.79 |
| 2 | असिंक0 खण्ड-6 झांसी | 1 | 2007-08 (मू0संक0) (मार्च 2011) | 117.58 | XXXVIII | 4 | 4.70 | 3 | 3.53 | 1.17 |
| | | | 2009-10 (मई 2012) | 56.64 | सी0 एवं XXXVIII | 4 | 2.27 | 3 | 1.70 | 0.57 |
| 3 | डिंक0 खण्ड-27 कानपुर | 1 | 2007-08 (उ0प्र0 व्या0क0) (अगस्त 2010) | 479.73 | सी0 एवं XXXI | 4 | 19.19 | 3 | 14.39 | 4.80 |
| | lks | 3 | 693-48 | | | 27-74 | | 20-41 | 7-33 | |

ओतः कर निर्धारण पत्रावलियां।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान शासन ने बताया कि एक मामले में ₹ 4.80 लाख कर आरोपित कर दिया गया है एवं शेष दो मामलों में कार्यवाही प्रचलित है।

2-3-8 e0l 0d0 dk de vklkj . k

2-3-8-1 vkorl dk =fVi wkl fu/kkj . k

- उ0प्र0 मू0संक0 नियमावली 2008 के नियम 9(3) के अन्तर्गत यदि संविदाकार द्वारा रखे गये लेखों में मजूदरी एवं सेवाओं का मूल्य तथा इस पर अर्जित लाभ अलग से दर्ज न हो या व्यापारी द्वारा रखे गये लेखे विश्वास योग्य न हो, या व्यापारी ने कोई लेखे रखे ही न हो, ऐसी दशा में संपत्ति के रूप में अंतरित वस्तु के मूल्य आवर्त को अवधारित करने के लिये 10 से 40 प्रतिशत की दर से धनराशि मजदूरी एवं सेवा तथा उस पर अर्जित लाभ के मद में सकल आवर्त से घटा दी जायेगी। संयत्र एवं मशीनरी

का निर्माण एवं संस्थापन के लिए घटाने की दर 10 प्रतिशत तथा सिविल कार्य जैसे भवन पुल, सड़क, बांध, बैराज, स्पिल वे एवं डाइवर्जन, सीवेज एवं ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण के लिये 30 प्रतिशत निर्धारित है।

दो वाणिज्य कर कार्यालयों के संविदाकारों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच के दौरान हमने पाया कि नमूना जाँच किये गये 262 संविदाकारों में से दो संविदाकारों के मामलों में कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा मार्च 2011 और नवम्बर 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय वर्ष 2007–08 से 2008–09 के लिये मजदूरी एवं सेवा तथा उस पर अर्जित लाभ की त्रुटिपूर्ण दर^० से गणना करने के कारण कर योग्य आवर्त ₹ 3.78 करोड़ के स्थान पर ₹ 1.60 करोड़ निर्धारित किया गया। जिसके कारण ₹ 2.18 करोड़ आवर्त का कम निर्धारण हुआ जिसके फलस्वरूप ₹ 10.80 लाख कर का कम आरोपण हुआ जैसा कि । kfj.kh 2-5 में दर्शाया गया है:

I kj .kh Øekad 2-5

vkorl ds =fVi wkl vo/kkj .k ds QyLo: i e0l 0d0 dk de vkjki .k

1 yk[k ei

| Ø0 1 0 | bdkbl dk uke | 0: ki kjh dh l a;k | dj fu/kkj .k o"kl 1/dj fu/kkj .k dk ekg , oa o"kl | Lkdy vkorl | dVfhi dh vuell; nj 1/ fr'kr e% | vkorl ftl ij dj vkjki .kh; Fkk | vkorl ftl ij dj vkjki r fd;k x;k | de vo/kkj r vkorl | de vkjki r dj |
|-----------|----------------------------|-----------------------|---|---------------|---|--|--|-------------------------|---------------------|
| 1 | डिंकमिं खण्ड-2 बाँदा | 1 | 2007–08 (मु स. स.क.) (मार्च 2011) | 343.93 | 30 | 240.75 | 70.25 | 170.50 | 8.88 |
| 2 | डिंकमिं खण्ड-6 झाँसी | 1 | 2008–09 (नवम्बर 2012) | 196.66 | 30 | 137.66 | 89.69 | 47.97 | 1.92 |
| | ; kx | 2 | | 540-59 | | 378-41 | 159-94 | 218-47 | 10-80 |

स्रोत: कर निर्धारण पत्रावलियां।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान शासन ने कहा कि दोनों मामलों में कार्यवाही प्रचलित है।

- उत्तर प्राधिकारी, व्यापारी द्वारा उसके व्यवसाय से सम्बन्धित रखी गयी पुस्तकें, लेखे एवं अभिलेख तथा अन्य सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच के पश्चात कर निर्धारण करेगा।

तीन वाणिज्य कर कार्यालयों की कर निर्धारण पत्रावलियों की जाँच के दौरान हमने पाया कि नमूने के रूप में जाँचे गये 469 संविदाकारों में से तीन संविदाकारों द्वारा आवर्त के कम अवधारण एवं गणना की त्रुटि के कारण अपना आवर्त ₹ 124.42 करोड़ के बजाय ₹ 114.92 करोड़ घोषित किया गया। क०नि०प्र० द्वारा फरवरी 2013 एवं मार्च 2014 के मध्य कर निर्धारण करते समय इस त्रुटि को संज्ञान में नहीं लिया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 19.09 लाख के कर का कम आरोपण हुआ जैसा कि । kfj.kh 2-6 में वर्णित है।

| Ø0 1 0 | dk; kly; dk uke | dVfhi dh vuell; nj 1/ fr'kr% | nj ftl ij dVfhi vuell; dk x; h 1/ fr'kr% | vf/ld vuell; dk x; h dVfhi 1/ fr'kr% |
|-----------|--------------------|---------------------------------|---|---|
| 1 | डिंको खण्ड 2 बाँदा | 30 | 79.57 | 49.57 |
| 2 | डिंको खण्ड 2 झाँसी | 30 | 54.40 | 24.40 |

I kj . kh 2-6

vkorl ds =fVi wkl fu/kkj . k ds dkj . k dj dk de vkjkj . k

(र yk[k e])

| ०० । ० | bdkbl dk uke dh । q; k | ०; ki kjh dj fu/kkj . k o"kl vldj fu/kkj . k vkns k dk ekg , o; o"kl | vkorl ftl i j dj vkjkj . kh; Fkk | vkorl ftl i j dj vkjkj . kh; fd; k x; k Fkk | dkj . k | de fu/kkj r vkorl | de vkjkj . kh; dj | |
|-----------|--|---|--|---|-----------|--|-------------------------|-------|
| 1 | डिंको खण्ड-2 वारको गौतमबुद्ध नगर | 1 | 2010-11 (मार्च 2014) | 4,338.94 | 3,780.25 | संविदाकार द्वारा बिना औचित्यपूर्ण कारण दिये लाभ और हानि खाते की तुलना में आवर्त को कम घोषित किया गया | 558.69 | 11.17 |
| | | | 2011-12 (मार्च 2014) | 2,276.05 | 2,105.70 | संविदाकार द्वारा बिना औचित्यपूर्ण कारण दिये लाभ और हानि खाते की तुलना में आवर्त को कम घोषित किया गया | 170.34 | 3.41 |
| 2 | डिंकमिं खण्ड-11 वारको गाजियाबाद | 1 | 2009-10 (फरवरी 2013) | 1,405.93 | 1,350.30 | सर्विस टैक्स घटाने के पश्चात समाधान राशि आरोपित की गई | 55.63 | 1.11 |
| 3 | डिंकमिं खण्ड-11 वारको नोएडा | 1 | 2009-10 (मई 2013) | 4,420.76 | 4,255.80 | गणना की त्रुटि के कारण | 164.96 | 3.40 |
| | ; lkx | 3 | | 12]441-68 | 11]492-05 | | 949-62 | 19-09 |

झोत कर निर्धारण पत्रावलियाँ।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान शासन द्वारा कहा गया कि सभी तीन मामलों में कार्यवाही प्रचलित है।

2-3-8-2 dj dl xyx nj dk yxk; k tku

उ0प्र0 व्यापार कर (उ0प्र0 व्या0क0) अधिनियम, 1948 की धारा 3क के अन्तर्गत शासन द्वारा समय पर विज्ञापित दरों की अनुसूची के अनुसार वर्गीकृत वस्तुओं पर कर आरोपणीय होता है। जो वस्तुये निर्धारित दरों की अनुसूची में वर्गीकृत नहीं है, उन पर 1 दिसम्बर 1998 से 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर (उ0प्र0 मू0सं0क0) अधिनियम 2008 की धारा 4(1) के अन्तर्गत 1 जनवरी 2008 से अनुसूची-2 में शामिल वस्तुओं पर चार प्रतिशत⁷ की दर से कर आरोपणीय है तथा वे वस्तुएं जो किसी भी अनुसूची में शामिल नहीं हैं वो अनुसूची-5 में आच्छादित हैं एवं 12.5 प्रतिशत⁸ की दर से कर योग्य हैं।

कमिशनर वाणिज्य कर के धारा 59 के अन्तर्गत दिये गये 18 जुलाई 2008 के निर्णय के अनुसार ऐसे संगठन/विभाग जो सरकारी विभागों के आदेश पर भवन निर्माण कार्य करते हैं वे व्यापारी की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं और उनके द्वारा सम्पादित किया गया कार्य सकर्म संविदा के अन्तर्गत आता है। उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत वे भवन निर्माण में उपयोग की गयी सामग्री पर कर के भुगतान करने के दायी हैं।

हमने छ वाणिज्य कर कार्यालयों के कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच में देखा कि नमूना जाँच किये गये 262 संविदाकारों में से आठ संविदाकारों द्वारा, जो कि समाधान योजना में नहीं थे 2007-08 (1.4.2007 से 31.12.2007 व्यापार कर के अन्तर्गत एवं 1.1.2008 से 31.03.2008 मू0सं0क0 अधिनियम के अन्तर्गत) से 2009-10 की अवधि के दौरान ₹ 1.55 करोड़ की सामग्री की आपूर्ति संविदी को की गयी, जिसके लिये उत्तर प्रदेश व्यापार कर एवं उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत चार

⁷ साथ ही साथ शासन ने अपनी विज्ञप्ति संख्या क0नि0-2-1169/XI दिनांक 29-05-2009 द्वारा 1 जून 2009 से आधा प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाया तथा विज्ञप्ति संख्या क0नि0-2-307 / XI दिनांक 19-02-2010 द्वारा 19 फरवरी 2010 से एक प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाया।

⁸ शासन ने अपनी विज्ञप्ति संख्या क0नि0-2-1169/XI दिनांक 29-05-2009 द्वारा 1 जून 2009 से एक प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाया।

से 13.5 प्रतिशत की दर से ₹ 16.38 लाख का कर आरोपणीय था। कर निर्धारण प्राधिकारियों (क०नि०प्रा०) द्वारा मार्च 2011 से फरवरी 2013 के मध्य उनका कर निर्धारण करते समय वस्तुओं की बिक्री ₹ 1.55 करोड़ पर अनुसूची के दिये गये कर की दर के बजाय व्यापारियों द्वारा दाखिल कर विवरणियों के अनुसार कर ₹ 4.83 लाख को स्वीकार किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.55 लाख कर का अनारोपण / कम आरोपण हुआ। विवरण **i fjj'k"V&III** में दर्शाया गया है।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान शासन ने कहा कि सभी आठ मामलों में कार्यवाही प्रचलित है।

2-3-9 | ksr i j dkVs x; s dj ds nkoka dh vfu; fer vuqpl; rk

उ०प्र० मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2008 के नियम 49(1) के अन्तर्गत उ०प्र०म०स०क० अधिनियम, की धारा 34 के प्रावधानों के अनुसार संविदी द्वारा स्रोत पर की गयी कर की कटौती कर के राज्य सरकार को जमा कराया गया कर, व्यापारी के द्वारा किया गया कर का भुगतान माना जायेगा तथा संविदी के द्वारा फार्म XXXI में जारी कराये गये प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित व्यापारी को जमा का लाभ दिया जायेगा। हमने 10 वाणिज्य कर कार्यालयों⁹ के संविदाकारों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच के दौरान पाया कि नमूना जाँच किये गये 650 संविदाकारों में से 23 संविदाकारों द्वारा नियमों के अन्तर्गत विहित फार्म XXXI में बिना प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये ₹ 3.35 करोड़ के टी०डी०ए० समायोजन का दावा किया गया। जिसमें 20 मामलों में संविदी विभागों¹⁰द्वारा दिये गये विवरण संलग्न थे, दो मामलों में कोई साक्ष्य नहीं संलग्न थे तथा एक मामले में विहित प्रमाण पत्र के बदले में वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी किया गया जमा का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया था। कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा दिसम्बर 2010 से जनवरी 2014 के मध्य कर निर्धारण करते समय बिना विहित फार्म में प्रमाण पत्र प्रस्तुत कराये टी०डी०ए० से आरोपित कर/समाधान राशि का समायोजन अनुमन्य कर दिया गया। अतः वांछित टी०डी०ए० प्रमाण पत्र के अभाव में ₹ 3.35 करोड़ जमा कर के दावे को अनुमन्य किया जाना अनियमित था।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान शासन ने कहा कि लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुपालन में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने पर एक मामले में व्यापारी द्वारा ₹ 24.90 लाख का टी०डी०ए० प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया है जो यह दर्शाता है कि कर निर्धारण के समय बिना प्रमाण पत्र के समायोजन अनुमन्य कर दिया गया था। शेष अन्य मामलों के सम्बन्ध में यह कहा गया कि कार्यवाही प्रचलित है।

2-3-10 dj dh oki | h ds }kjlk vuqpr foRrh; ykHK

उ०प्र० व्यापार कर (उ०प्र०व्या०क०) अधिनियम की धारा 29 एवं उ०प्र० मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 40 के प्रावधानों अन्तर्गत किसी व्यापारी को, उसके द्वारा कर शुल्क अथवा अन्य देयों के मद में अधिक जमा धनराशि उसे वापसी योग्य हैं। पुनश्च: माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा में मफत लाल इण्डस्ट्रीज लिंग बनाम यूनियन आफ इण्डिया (1996) के वाद में दिये गये न्यायिक निर्णय में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कर के भार को अन्य व्यक्ति पर अन्तरित कर देता है तो उस व्यक्ति को उस कर की वापसी, अनुचित लाभ मानी जायेगी। यह साबित करने की जिम्मेदारी व्यापारी पर है, कि कर का दायित्व किसी अन्य व्यक्ति पर अन्तरित नहीं किया गया है।

हमने 25 वाणिज्य कर कार्यालयों के 650 संविदाकारों में से 69 संविदाकारों के मामलों में कर निर्धारण आदेश की जाँच में पाया कि वर्ष 2007–08 (म०स०क०) से 2011–12

⁹ डिंक० खण्ड 2 गौ०ब० नगर, डिंक० खण्ड 27 कानपुर, डिंक० खण्ड 13 व 21, अस्सिंक० खण्ड 3, 4,12 व 18 लखनऊ, डिंक० एवं अस्सिंक० खण्ड 5 मुरादाबाद।

¹⁰ भा०रा०रा०प्रा०, उ०प०र०, लो०नि०वि०, सिंचाई विभाग, विद्युत खण्ड, जल निगम, नगर निगम, उ०प्र० आ०ए० वि०प०, मण्डी परिषद, एवं निजी संस्थायें।

की अवधि में क0निप्रा० द्वारा जून 2010 और दिसम्बर 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय स्रोत पर की गयी कटौती का आरोपित कर में समायोजन किया गया और अधिक कर ₹ 2.84 करोड़ की वापसी की गयी। न्यायिक निर्णय के आलोक में क0निप्रा० से यह अपेक्षा की गयी थी, कि व्यापारी को अधिक जमा कर की वापसी करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि किसी व्यापारी को कर की वापसी की जा रही है, उसने अधिक जमा कर की राशि का भार किसी अन्य पक्ष पर अन्तरित तो नहीं कर दिया था और ऐसी वापसी के द्वारा कहीं अनुचित वित्तीय लाभ तो नहीं लिया गया। लेकिन, न तो कर निर्धारण आदेश में इस तथ्य की विवेचना की गयी और न ही कर का भार अन्तरित न करने से सम्बन्धित कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। अनियमित वापसी से सम्बन्धित विवरण i fjj'k"V&IV में उल्लिखित है।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान शासन द्वारा यह कहा गया कि एक मामले में ₹ 1.20 लाख की माँग आरोपित की गयी है। 20 मामलों में कार्यवाही प्रचलित है और चार मामलों में वापसी विधि अनुकूल थी क्योंकि इन व्यापारियों ने समाधान योजना का विकल्प दिया था। शासन का उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है, क्योंकि प्राक्कलन तैयार करते समय मू०सं०क० का अवयव, वस्तु की दरों में शामिल होता है और यदि कर का भार संविदी पर अन्तरित नहीं किया गया है तो इस तथ्य की विवेचना कर निर्धारण आदेश में साक्ष्य रूप में सम्बन्धित अभिलेखों के साथ की जानी चाहिए।

ge | lfr djrs ḡ fd foHkkx dj fu/kkj.k vkn̄k i kfjr djrs | e; dj fu/kkj.k vkn̄k e; ; g foopuk dj l drk ḡ fd dj dk Hkkj l fonh ij vUrfjr ugh fd; k x; k ḡ vkj ml ds l k{; ds : i e; | Ecfl/kr vfHkȳk dks dj fu/kkj.k i=koyh e; Hkh l yXu fd; k tkuk pkfg, A

2-3-11 vFkh.M dk vukjks .k

2-3-11-1 l fonh foHkkxks i j vFkh.M dk vukjks .k

उ०प्र० व्यापार कर अधिनियम की धारा-8घ (6) एवं उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम की धारा 34(8) के अन्तर्गत ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी संविदाकार को संकर्म संविदा के अनुपालन में किसी माल के स्वामित्व के अन्तरण के लिये देय मूल्यवान प्रतिफल के विरुद्ध किसी दायित्व के निर्वहन में भुगतान के लिये उत्तर दायी हो ऐसी संकर्म संविदा के लिये अधिनियम के अन्तर्गत देय धनराशि में से चार प्रतिशत की कटौती करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार काटी जाने वाली धनराशि की कटौती करने में असफल रहता है या कटौती के पश्चात इस प्रकार काटी गयी धनराशि को उ०प्र०व्या०क० अधिनियम के अन्तर्गत कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह की समाप्ति के पूर्व तथा उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम के अन्तर्गत कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह 20 वें दिन की समाप्ति के पूर्व कोषागार में जमा करने में असफल रहता है तो क0निप्रा० ऐसे व्यक्ति को अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार काटी गयी धनराशि के दो गुने से अनधिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

हमने 23 वाणिज्य कर कार्यालयों के संविदियों के कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच में देखा कि नमूना जाँच किये गये 127 संविदियों में से 41 संविदियों¹¹ ने वर्ष 2006–07 से 2011–12 के दौरान संविदाकारों को भुगतान करते समय स्रोत पर ₹ 7.25 करोड़ संकर्म संविदा कर (डब्ल्यू०सी०टी०) की कटौती किया परन्तु उसे निर्धारित समयावधि के अन्दर शासकीय कोषागार में जमा नहीं किया। विलम्ब की अवधि पाँच दिन से लेकर नौ माह तक की थी। क0निप्रा० ने नवम्बर 2010 से मई 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय न तो ₹ 14.50 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही अर्थदण्ड आरोपित न करने के सम्बन्ध में कोई कारण अथवा

¹¹ निगम:13, बिल्डर्स एवं निजी संविदाकार:8, लो०निप्रा०:7, आवास विकास परिषद:4, सिंचाई विभाग:2, आवास विकास समिति:1, दुर्ग अभियन्ता:1, नगर पालिका परिषद:1, जिला पंचायत:1, विद्युत वितरण विभाग:1, विकास प्राधिकरण:1, एवं उत्तर रेलवे:4।

स्पष्टीकरण अपने कर निर्धारण आदेश में अंकित किय जैसा कि ijfjf'k"V&V में दिखाया गया है।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान शासन ने बताया कि सभी मामलों में कार्यवाही प्रचलित है।

2-3-11-2 | del | fonkdkjk i j vFkh.M dk vukjk .k

उ0प्र0 मू0स0क0 अधिनियम की धारा 54(1) के अन्तर्गत कर निर्धारण प्राधिकारी यदि सन्तुष्ट है कि व्यापारी या किसी अन्य व्यक्ति, जैसी स्थिति हो, ने नीचे दी गयी सारिणी के स्तम्भ (2) में परिभाषित कोई त्रुटि की है तो, ऐसी जाँच, जिसे वह आवश्यक समझे, करने तथा व्यापारी या उस व्यक्ति को सुनवाई का युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त व्यापारी अथवा उस व्यक्ति को देय कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में | kj .kh 2-7 के स्तम्भ 3 में निर्धारित धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित करेगा।

| kj .kh 2-7
vFkh.M dl nj k dk fooj .k

| mi /kkjk 0 | =IV | vFkh.M dl /kujfk'k |
|--------------------|--|--|
| 1 | व्यापारी युक्तियुक्त कारण के बिना किसी कर अवधि के लिये देय कर को विहित या बढ़ाइ गई अवधि के अन्तर्गत जमा करने में विफल हो गया हो | संदेय कर का 20 प्रतिशत |
| 2 | व्यापारी ने अपने आवर्त का विवरण छिपाया हो या ऐसे आवर्त का असत्य विवरण जानबूझ कर प्रस्तुत किया हो या इस अधिनियम के अधीन मिथ्या कर विवरण प्रस्तुत किया हो या कर संदाय का अपवंचन किया हो जिसका इस अधिनियम के अधीन भुगतान न करने का दायी है। | छिपायी गयी या परिवर्जित की गयी कर की धनराशि का तीन गुना। |
| 4 | व्यापारी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के निर्धारित कर का भुगतान अनुज्ञात सयय के भीतर करने में विफल हो गया है। | निर्धारित कर का 20 प्रतिशत। |
| 19 | जहाँ यथास्थिति व्यापारी या कोई अन्य व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में मिथ्या या कपट पूर्ण तरीके से धनराशि का दावा करता है। | इनपुट टैक्स क्रेडिट धनराशि के पाँच गुना के बराबर धनराशि |

स्रोत: उ0प्र0 मू0स0क0 अधिनियम 2008

हमने तीन वार्कोका0 के कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच के दौरान पाया कि नमूना जाँच किये गये 262 संविदाकारों में से चार संविदाकारों ने अधिनियम की धारा 54(1) के प्रावधानों का उल्लंघन किया, इस उल्लंघन के लिये प्रावधानों के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपणीय था। क0न0प्रा0 ने अवधि 2007–08 (मू0स0क0) से 2009–10 के लिये जून 2010 और मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय इन उल्लंघनों को संज्ञान में नहीं लिया तथा ₹ 2.06 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित करने में विफल रहे जैसा कि | kj .kh 2-8 में वर्णित है।

| kj .kh 2-8
vFkh.M dl nj k dk fooj .k

| 00 0 | bdkbi dk uke | 0; ki kfj ; k dh q; k | dj fu/kkj.k o"kl %dj fu/kkj.k dk ekg , oa o"kl | dj dh /kujfk'k | /kj.k ft l ds vUr xJr vFkh.M vkjk .kh; Fkk | vFkh.M dl nj | vFkh.M dl /kujfk'k |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|--|-------------------------------------|-----------------------|
| 1 | डिकमि0 खण्ड-16 वार्को गाजियाबाद | 1 | 2009–10 (मार्च 2013) | 235.88 | 54(1)(4) | कर का 20 प्रतिशत | 47.18 |
| | | 1 | 2008–09 (जून 2012) | 30.33 (उक्तमित की गई आईटी0सी0 की धनराशि) | 54(1)(19) | आईटी0सी0 का पाँच गुना | 151.65 |
| 2 | डिकमि0 खण्ड-10 वार्को लखनऊ | 1 | 2007–08 (मू0स0क0) (जून 2010) | 3.49 | 54(1)(1) | कर का 20 प्रतिशत | 0.70 |
| | | | 2009–10 (मार्च 2012) | 7.50 | 54(1)(1) | कर का 20 प्रतिशत | 1.50 |
| 3 | असिकमि0 खण्ड-3 वार्को लखनऊ | 1 | 2008–09 (अप्रैल 2012) | 1.50 | 54(1)(2) | छिपाये गये कर की धनराशि का तीन गुना | 4.50 |
| | kx | 4 | | 278.70 | | | 205-53 |

स्रोत: कर निर्धारण पत्रावलियों।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान शासन ने बताया कि सभी मामलों में कार्यवाही प्रचलित है।

ge ; g vuñkñ k djrs gñ fd foñkkx vFkh.M vkjksfir u djus ds | Ecñ/k eñ foodk/khu vf/kdkjkñ dk iñkx djrs | e; vFkh.M vuñjkñ .k ds ckjs es dkj.k vFkok vñspR; dj fu/ñkñ.k vñknñk eñ vñdr djus ij fopkj dj | drk gñ

2-3-12 dññh; fcØh dj vf/kfu; e ds vñrxñr iñk; h x; h vfu; ferrk; i

2-3-12-1 dññh; iñth; u eñ iñthxr eky dh [kjhn ds fy; s vfu; fer : i
| s vf/kdr fd; k tkuk

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 8(3)(ख) के अनुसार एक पंजीकृत व्यापारी प्रान्त बाहर से फार्म 'सी' के विरुद्ध रियायती दर से पुनः विक्रय के लिये विनिर्माण या प्रसंस्करण में या दूरसंचार नेटवर्क में या खनन में या बिजली के उत्पादन या वितरण के उद्देश्य से माल खरीद सकता है।

उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत कमिशनर वाणिज्य कर (क0वा0क0) के दिनांक 12 मार्च 2008 के निर्णय के अनुसार संविदाकारों को व्यापारी के श्रेणी में माना गया न कि निर्माता के श्रेणी में, इसीलिए फार्म 'सी' के विरुद्ध पूँजीगत माल की खरीद का लाभ नहीं दिया जायेगा क्योंकि ऐसा खरीदा गया पूँजीगत माल न तो उसने पुनः विक्रय किया और न ही विक्रयार्थ माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में प्रयोग किया है।

हमने 17 वाणिज्य कर कार्यालयों में संविदाकारों से सम्बन्धित अभिलेखों एवं कर निर्धारण आदेशों की जाँच के दौरान पाया कि नमूना जाँच किये गये 650 संविदाकारों में 31 संविदाकारों को विक्रय के लिए माल के निर्माण या प्रसंस्करण के लिए प्रयुक्त पूँजीगत माल जैसे कोई संयंत्र, मशीन, मशीनरी, इक्यूपमेन्ट अप्रेट्स, टूल, अप्लायांस या विद्युत संस्थापन को खरीदने के लिये केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र में अधिकृत किया गया था। केन्द्रीय पंजीयन में त्रुटिपूर्ण ढंग से अधिकृत किये जाने के आधार पर संविदाकारों ने वर्ष 2007–08 (उ0प्र0 व्या0क0) से वर्ष 2010–11 के दौरान ₹ 18.63 करोड़ के पूँजीगत माल की खरीद की तथा रियायती दर से केन्द्रीय बिक्री कर का भुगतान किया। पुनश्च: हमने पाया कि संविदाकारों द्वारा न तो इन वस्तुओं का पुनः विक्रय किया गया और न ही विक्रयार्थ माल के विनिर्माण में प्रयोग किया गया, जैसा कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिको की धारा 8(3)(ख) में विहित है। यह दर्शाता है कि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र में पूँजीगत माल की खरीद के लिये अधिकृत किया जाना के0बि0क0 अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध था। क0नि0प्रा0 ने वर्ष फरवरी 2011 तथा मार्च 2014 के दौरान कर निर्धारण करते समय इस त्रुटि को संज्ञान में नहीं लिया। क0नि0प्रा0 के स्तर पर इस त्रुटि के फलस्वरूप व्यापारियों को ₹ 1.42 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ। जैसा कि i f j f' k"V&VI में वर्णित है।

एक निदर्शी मामला इस प्रकार है: डिकमिं 0 खण्ड-7 वा0क0 मुजफ्फर नगर के एक सिविल संविदाकार ने वर्ष 2008–09 एवं 2010–11 में फार्म 'सी' के विरुद्ध ₹ 1.70 करोड़ का प्लांट एवं मशीनरी जैसे जे0सी0वी0, पेवर फिनिशर, एक्सकेवेटर, लोडर आदि की खरीद की। केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र की जाँच से पता चला कि संविदाकार को क0नि0प्रा0 द्वारा प्लांट एवं मशीनरी को खरीदने के त्रुटिपूर्वक ढंग से अधिकृत किया गया था। प्लांट एवं मशीनरी को रियायती दर पर खरीदे हेतु त्रुटिपूर्वक ढंग से अधिकृत किये जाने के फलस्वरूप संविदाकार को ₹ 18.74 लाख का अनुचित लाभ हुआ।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान शासन ने कहा कि लेखापरीक्षा की आपत्ति के अनुपालन में एक व्यापारी के मामलों में दो वर्षों के लिए ₹ 5.51 लाख का अर्थदण्ड

आरोपित कर दिया है साथ ही साथ वसूली प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है तथा डिक्टी खण्ड-7 वारको मुजफ्फर नगर के एक व्यापारी के मामले में असहमति व्यक्त करते हुए पुनः पत्र व्यवहार करने का आश्वासन दिया। शेष मामलों में विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रचलित है।

2-3-12-2 vFkh.M dk vu{kjks .k@de vu{kjks .k

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यापारी फार्म सी में घोषणा के आधार पर प्रान्त बाहर से कर की रियायती दर पर कोई माल खरीद सकता है। यदि ऐसा माल के0बिको अधिनियम के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं है अथवा प्रान्त बाहर से कर की रियायती दर पर खरीदे गये माल का प्रयोग, उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु करता है, जिस हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो व्यापारी के0बिको अधिको की धारा 10 के अन्तर्गत अभियोजन का पात्र होगा। फिर भी, यदि कर निर्धारण प्राधिकारी उचित समझे तो अभियोजन के स्थान पर केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा 10 ए के अन्तर्गत ऐसे माल की बिक्री पर देय कर के डेढ़ गुने तक का अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

- आठ वाणिज्य कर कार्यालयों में संविदाकारों से सम्बन्धित कर निर्धारण पत्रावलियों एवं केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्रों की जाँच के दौरान हमने पाया कि नमूना जाँच किये गये 650 संविदाकारों में से आठ संविदाकारों ने वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के दौरान फार्म सी में घोषणा के आधार पर ₹ 4.53 करोड़ का माल के0बिको की रियायती दर से खरीदा। ये वस्तुयें उनके के0बिको अधिनियम के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र से अच्छादित नहीं थी। क0निप्रा0 ने जनवरी 2011 एवं मई 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय फार्म सी के अनियमित प्रयोग को संज्ञान में नहीं लिया। इसके फलस्वरूप ₹ 83.31 लाख का अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ जैसा कि i f f' k"V&VII में वर्णित है।

एक निदर्शी मामला निम्नवत है: डिक्टी खण्ड-27 वारको कानपुर के एक संविदाकार ने प्रान्त बाहर से फार्म सी के आधार पर रियायती कर की दर पर ₹ 1.26 करोड़ की चेसिस खरीदी। यह वस्तु उसके केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं थी। कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण करते समय इसे संज्ञान में नहीं लिया और फार्म सी के अनियमित प्रयोग पर ₹ 25.42 लाख का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

- डिक्टी खण्ड-9 वारको गाजियाबाद कार्यालय के व्यापारी से सम्बन्धित पत्रावलियों एवं कर निर्धारण आदेश की जाँच के दौरान हमने पाया कि एक संविदाकार ने फार्म सी के आधार पर ₹ 85.38 लाख की पूँजीगत माल (एसफाल्ट कम्पेटर, कम्प्रेसर, ड्रम मिक्स प्लांट, मशीन, टार ब्यायलर, वेट मिक्स पेवर आदि) खरीदा जिसका न तो पुनः विक्रय किया अथवा न ही विनिर्माण में प्रयोग किया गया जैसा कि केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र में अधिकृत किया गया था। इस अनियमितता के लिए क0निप्रा0 ने मार्च 2013 में कर निर्धारण करते समय ₹ 85.38 लाख की खरीद पर 20.25 प्रतिशत की दर से ₹ 17.29 लाख अर्थदण्ड आरोपित करने के स्थान पर ₹ 69.30 लाख की पूँजीगत माल की खरीद पर 7.5 प्रतिशत की दर से ₹ 5.20 लाख अर्थदण्ड आरोपित किया। इसके फलस्वरूप ₹ 12.09 लाख कम अर्थदण्ड आरोपित हुआ।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान शासन ने कहा कि एक व्यापारी के मामले में ₹ 40.52 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है तथा शेष आठ मामलों में कार्यवाही प्रचलित है।

ge vu{kjks .k dk vu{kjks .k | Ecl/kh vf/kdkj dk i;kx djrs | e; foHkkx dj fu/kkj .k vkn;k e; vFkh.M u vu{kjks i r djus ds dkj .kks ; k vkspr; dk mYs[k djus i j fopkj dj | drs gA

2-3-13 i ps'k dj dk vukjkis .k

उ0प्र0 माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 की धारा-4 के अन्तर्गत शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कर की दरों की अनुसूची के अनुसार माल के मूल्य पर प्रवेश कर आरोपणीय है।

कर निर्धारण आदेश खरीद सूची एवं फार्म **XXXVIII** (आयात घोषणा प्रपत्र) का उपभोग विवरण की जाँच के दौरान हमने पाया कि नमूना जाँच किये गये 759 व्यापारियों में से बारह वाणिज्य कर कार्यालयों से सम्बन्धित 17 व्यापारियों ने वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान ₹ 47.39 करोड़ के मूल्य का माल स्थानीय क्षेत्र के बाहर से खरीदा। क0नि0प्रा0 ने जनवरी 2012 एवं फरवरी 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय इस बात की जाँच नहीं की, कि वस्तु स्थानीय क्षेत्र के बाहर से खरीदी गयी थी, जिस पर प्रवेश कर आरोपणीय था, इसके परिणामस्वरूप ₹ 60.40 लाख का प्रवेश कर आरोपित नहीं हुआ जैसा कि i fjf' k"V&VIII में दर्शाया गया है।

एक निदर्शी मामला निम्नवत है: डिकमिं 0 खण्ड-12 वा0क0, इलाहाबाद के एक व्यापारी ने वर्ष 2009-10 के दौरान जैसा कि आयात घोषणा पत्र के उपभोग विवरण से स्पष्ट है, स्थानीय क्षेत्र के बाहर से ₹ 24.93 करोड़ स्टील स्ट्रक्चर एम0एस0 पाइप व केबिल की खरीद की। स्टील स्ट्रक्चर एवं एम0एस0 पाइप की खरीद पर एक प्रतिशत की दर से तथा केबिल की खरीद पर दो प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय था। क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय आयात घोषणा पत्र के उपभोग विवरण की जाँच नहीं की जिसकी वजह से ₹ 28.82 लाख प्रवेश कर आरोपित नहीं किया।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और बताया कि सभी मामलों में प्रवेश कर को आरोपित करने की कार्यवाही प्रचलित है।

2-3-14 c; kt dk u@de i klfjr djuk

उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम की धारा 8(1) एवं उ0प्र0 मूल्य सर्वधित कर अधिनियम की धारा 33(2) के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा देय स्वीकृत कर को निर्धारित समयावधि के अन्दर सरकारी कोषागार में जमा करना होगा ऐसा करने में असफल रहने पर पर देय धनराशि पर ऐसी धनराशि को जमा किये जाने के लिये निर्धारित अन्तिम तिथि के अगले दिन से लेकर धनराशि के जमा किये जाने की तिथि तक 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से (उ0प्र0 व्यापार कर अवधि में 14 प्रतिशत प्रति वर्ष) ब्याज देय होगा।

सात वा0क0का0 के व्यापारियों के कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच के दौरान हमने पाया कि नमूना जाँच किये गये 759 व्यापारियों में से सात व्यापारियों ने वर्ष 2007-08 से 2010-11 के मध्य अपने स्वीकृत कर ₹ 1.55 करोड़ को एक माह 10 दिनों से लेकर पाँच वर्ष 22 दिनों तक विलम्ब से जमा किया था। विलम्ब से जमा स्वीकृत कर पर जमा की तिथि तक ₹ 11.96 लाख ब्याज आकृष्ट होता था। क0नि0प्रा0 द्वारा कर निर्धारण आदेश (जून 2010 से फरवरी 2013) पारित करते हुये ब्याज नहीं/ कम प्रभारित किया गया। विवरण i fjf' k"V&IX में दर्शित है।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान शासन ने कहा कि एक मामले में ब्याज की धनराशि ₹ 27,000 आरोपित कर दिया गया है तथा वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया तथा शेष मामलों में कार्यवाही प्रचलित है।

2-3-15 vklUrfjd fu; #.k Áa kkyh

2-3-15-1 vklUrfjd ys[kki jh{kk

आन्तरिक लेखापरीक्षा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है तथा यह वैधानिक प्रावधानों, नियमों एवं विभागीय निर्देशों के व्यवस्थित रूप से लागू कराने में तर्कपूर्ण आश्वासनों के उपलब्ध कराने के लिये सामान्यतः सभी नियंत्रणों पर नियंत्रण माना जाता है। आन्तरिक नियन्त्रण तुरन्त एवं प्रभावी सेवाओं तथा करापवंचन एवं अन्य अनियमितताओं के विरुद्ध उचित सुरक्षा के लिये वित्तीय एवं प्रबन्ध की विश्वसनीय प्रणाली को सृजन करने में भी मदद करता है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा कमिशनर वाणिज्य कर के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में 13 लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं 91 वरिष्ठ लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षकों के स्वीकृत पद के विरुद्ध 24 वरिष्ठ लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षकों को तैनात किया गया है जैसा कि । kj . kh 2-9 में वर्णित है।

I kj . kh 2-9

vkUrjfjd ys[kki jh{kk 'kk [kk e; de[pkfj ; ka dh fLFkfr

| o"kl | Lohdr in | dk; Jr in | fj Dr in | deh dk i fr'kr |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ys[kki ijh{kkk vf/kdkj h | okfj "B ys[kk ijh{kdk@ys[kk ijh{kdk | Yks[kk ijh{kkk vf/kdkj h | ofj "B ys[kk ijh{kdk@ys[kk ijh{kdk | ys[kk ijh{kkk vf/kdkj h |
| 2010-11 | 13 | 91 | 0 | 40 |
| 2011-12 | 13 | 91 | 0 | 34 |
| 2012-13 | 13 | 91 | 0 | 24 |
| 2013-14 | 13 | 91 | 0 | 31 |

प्रोतः कमिशनर वाणिज्य कर द्वारा उपलब्ध करायें गये आंकड़े।

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि लेखापरीक्षा अधिकारियों के सभी 13 पद खाली पड़े हुये हैं साथ ही साथ वरिष्ठ लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षकों पदों पर 56 से 74 प्रतिशत तक की कमी है।

आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजना का विवरण जैसे लेखपरीक्षा हेतु आयोजित इकाईयां, इकाइयां जिनकी लेखापरीक्षा की गयी तथा कमी I kj . kh 2-10 में दर्शायी गयी है।

I kj . kh 2-10

vkUrjfjd ys[kki jh{kk dk fooj . k

| o"kl | ys[kki jh{kk vk; kst uk ds vuq k j y [kki jh{kk ; kk; bdkb[ka | ys[kk ijh{kkr bdkb[ka dh l a; k | ys[kki jh{kk u dh x; h bdkb[ka dh l a; k | deh dh i fr'kr rk |
|---------|--|-------------------------------------|---|-------------------|
| 2010-11 | 647 | 524 | 123 | 19 |
| 2011-12 | 667 | 379 | 288 | 43 |
| 2012-13 | 667 | 220 | 447 | 67 |
| 2013-14 | 667 | 172 | 495 | 74 |

प्रोतः कमिशनर वाणिज्य कर द्वारा आकड़े प्रस्तुत।

यह दर्शाता है कि आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की लेखापरीक्षा आयोजना यथार्थ नहीं है क्योंकि वर्ष 2010-11 से 2013-14 के मध्य 19 से 74 प्रतिशत तक की कमी रही तथा विभाग आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में कर्मचारियों के तैनाती के प्रति उदासीन था।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान शासन ने कहा कि कमी का मुख्य कारण घटती हुई मानव शक्ति, नये लेखापरीक्षकों को प्रशिक्षण एवं समय-समय पर उनको अन्य कार्यों को सौंपा जाना था।

ge vuq k dj rs gs fd foHkkx i Hkkoh < & I s vkUrjfjd ys[kki jh{kk dks I q<+ cukus rFkk ofk"kd ys[kki jh{kk vk; kst uk ; FkkFk : i I s r\$ kj djus i j fopkj dj I drk gA

2-3-15-2 dj ys[kki jh{kk 'kk [kk }kj k fcYMjk@I fondkdkjka dh dj ys[kki jh{kk

उत्तराधिकारीयम की धारा 44(1) प्रावधानित करती है कि व्यापारी या व्यापरियों के वर्ग द्वारा दाखिल किये गये विवरणियों की शुद्धता का परीक्षण करने के उद्देश्य से तथा व्यापारी या व्यापरियों के वर्ग द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों सहित विभिन्न दावों की स्वीकार्यता जाँचने हेतु उतनी संख्या के व्यापरियों, जितना विहित की जाये की कर लेखापरीक्षा की जायेगी। उत्तराधिकारीयम का नियम 43 कर लेखापरीक्षा किये जाने वाले विभागीय अधिकारी की श्रेणी एवं व्यापारी का चयन किये जाने की विधि का निर्धारण करता है। अधिकारियों के कर्तव्य एवं उत्तराधिकारीयम का चयन किये जाने की विधि वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी टैक्स आडिट मैनुअल के अध्याय 4 एवं 5 में वर्णित हैं।

कर लेखापरीक्षा से सम्बन्धित प्रावधानों एवं आदेशों के प्रभाव/प्रयोग की जाँच करने के लिये हमने 69 वाणिज्य कर कार्यालयों से 759 संविदाकारों की सूचना संकलित की

और पाया कि 43 वाणिज्य कर कार्यालयों¹² में 330 संविदाकारों का टर्नओवर पाँच करोड़ से अधिक था। लेकिन कोई भी वाद कर लेखापरीक्षा हेतु चयनित नहीं किया गया था।

यह दर्शाता है कि कर लेखापरीक्षा का सर्कर्म संविदाकारों के क्रय विक्रय एवं स्वीकृति कर की उनको बही खातों एवं सम्बन्धित दस्तावेज से जाँच कर करापवंचन को रोके जाने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान शासन ने कहा कि संवेदनशील वस्तुओं के व्यापारियों को चिन्हित करने के लिये कर लेखापरीक्षा के लिये रिस्क प्रोफाइलिंग पैरामीटर निर्धारित है तथा संविदाकारों के मामले, संवेदनशील श्रेणी में नहीं आते हैं। हम शासन के उत्तर से सहमत नहीं हैं, क्योंकि संविदाकार के मामले में भी रिस्क प्रोफाइलिंग फैक्टर निहित होते हैं।

2-3-15-3 vi at h̄dr 0; ki kfj ; k̄ dk i at; u

उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 17 में प्रावधानित है कि इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान का दायी प्रत्येक व्यापारी विहित पंजीयन प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

हमने 69 वार्को कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया कि अपंजीकृत व्यापारियों की पहचान के लिये पाँच वार्कोका0 (डिओकमि0 एवं असि0 कमि0 खण्ड 3 बरेली, डि�0कमि0 खण्ड 4, 5 एवं 6 झांसी) द्वारा किये गये सर्वेक्षण में वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान केवल 25 मामले चिन्हित किये जा सके थे। विभाग में सचल दल एवं विशेष अनुसंधान शाखा कार्यरत होने के बावजूद शेष 64 वार्कोका0 में कोई भी अपंजीकृत व्यापारियों को नहीं चिन्हित किया जा सका। इससे यह प्रदर्शित होता है कि विभाग का सर्वेक्षण तन्त्र बहुत कमजोर था।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान शासन ने कहा कि इस सम्बन्ध में 20 सितम्बर 2013 को ई-पंजीयन के लिये परिपत्र जारी किया गया है साथ ही साथ सचल दल विओनुओशा0 तथा खण्ड में तैनात वाणिज्य कर अधिकारियों द्वारा भी अपंजीकृत व्यापारियों को पंजीकृत करने के लिये सर्वेक्षण किया जाता है। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि विभाग के प्रयासों के बावजूद भी कुछ ही अपंजीकृत व्यापारियों का पंजीकरण हेतु पहचान की जा सकी। जहाँ तक उक्त परिपत्र का सम्बन्ध है यह वर्ष 2013–14 में जारी हुआ है।

ge vuq;k d jrs gS fd foHkkx vi at h̄dr I fonkdkjk;k dks igpkuus rFkk jktLo ds fgr e;k mudks dj dl ifjf/k e;k ykus ds fy; s cktkj dk I o;k.k djk; s tkus i j fopkj dj I drk g;k

2-3-15-4 foojf.k; k̄ , oa jktLo ds vuqj0.k ds fy; s vyx I s MkVkc;k dk u g;k

उ0प्र0 मू0सं0क0 नियमावली 2008 के नियम 32(1) के अनुसार मू0सं0क0 अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यापारी फार्म VII (छ:) (सरकारी विभाग के पंजीयन के लिये लागू) में अन्य मामलों में फार्म VII (अन्य मामलों में पंजीयन के लिये लागू) में पूर्ण रूपेण भरा हुआ एक प्रार्थना पत्र उस क्षेत्र के पंजीयन प्राधिकारी जहाँ उसका मुख्य व्यवसाय स्थल है, के समक्ष प्रस्तुत करेगा। फार्म VII के क्रम सं0 16 एवं फार्म VII (छ:) के क्रम संख्या 11 व्यापार की प्रकृति की सूचना से सम्बन्धित है, में संकर्म संविदा का एक अलग खाना दिया गया है। पुनश्च: नियम 32

¹² डि�0क0 एवं असि0क0 खण्ड 12 इलाहाबाद, डि�0क0 खण्ड 3 बलिया, डि�0क0 खण्ड 2 बांदा, डि�0क0 खण्ड 3, 6 व 8, असि0क0 खण्ड 3 बरेली, डि�0क0 खण्ड 1 बस्ती, डि�0क0 खण्ड 2 व 3, असि0क0 खण्ड 3 गौठु0 नगर, डि�0क0 खण्ड 9, 11, 12 व 16, असि0क0 खण्ड 3 व 16 गाजियाबाद, डि�0क0 खण्ड 5 व 6 झांसी, डि�0क0 खण्ड 16 व 27, असि0क0 खण्ड 17 कानपुर, डि�0क0 खण्ड 10, 12, 13, 20, 21 व 22, असि0क0 खण्ड 3, 18 व 20 लखनऊ, डि�0क0 खण्ड 10 मेरठ, डि�0क0 खण्ड 5 व 9 मुरादाबाद, डि�0क0 खण्ड 4 व 7 असि0क0 खण्ड 8 मुजफरनगर, डि�0क0 खण्ड 10, 11 व 12, असि0क0 खण्ड 8 नोयडा, डि�0क0 खण्ड 3 रामपुर।

के उपनियम 10 के अन्तर्गत फार्म XI में पंजीयन प्रमाण पत्र जिसमें करदाता पहचान संख्या (टिन) होगी, जारी करेगा। इस प्रमाण पत्र के क्रम सं0-1 में व्यवसाय की प्रकृति का उल्लेख है।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि विभाग के पास पूर्ण रूप से आनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत टिन के साथ आनलाइन पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। प्रारम्भिक विचार गोष्ठी के दौरान विभाग से संकर्म संविदाकारों की संख्या एवं उनसे वसूल राजस्व का समग्र आंकड़ा उपलब्ध कराने के लिये कहा गया था लेकिन उन्होंने उत्तर दिया कि विभाग के पास संविदाकारों एवं उनसे राजस्व वसूली का कोई भी डाटाबेस अलग से नहीं है। आगे हमने देखा कि विभिन्न वाणिज्य कर कार्यालयों में संकर्म संविदाकारों से सम्बन्धित विवरणी एवं कर पर नियंत्रण के लिये अलग से कोई रजिस्टर नहीं रखा जा रहा था जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि समस्त संविदाकार अपनी विवरणी समय से प्रस्तुत कर रहे थे एवं कर का भुगतान समय से कर रहे थे।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान विभाग ने कहा कि ई-पंजीयन का परिपत्र दिनांक 20 सितम्बर 2013 को जारी किया जा चुका है आनलाइन पंजीयन व्यवस्था के अन्तर्गत संकर्म संविदाकारों और उनके विवरणी की स्थिति विकल्प आधारित डाटाबेस से देखा जा सकता है। इससे यह स्पष्ट है कि समीक्षा द्वारा आच्छादित अवधि के दौरान कोई भी डाटाबेस नहीं था।

ge vu{kd k djrs g{ fd foHkkx I fonkdkjk@I fonh dk ,d vyx I s MkVkcj j [kus i j fopkj dj I drs g{ ftI ei i at; u dh frfFk] fooj .kh Hkjus dh frfFk] I ek/kku ;kstuk dk fodYi vi ukus rFkk VhOMh, I 0 dVks h ds I kfk I kfk nkoka dh I puk gkA

2-3-16 fu"dk"

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने निम्न बिन्दुओं का अवलोकन किया:

- कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के अनुपालन न करने के कारण समाधान राशि का कम आरोपण, कर का कम आरोपण, प्रवेश कर का अनारोपण, ब्याज का अनारोपण/ कम आरोपण आदि के मामले पाये गये।
- संकर्म संविदाकारों को कर की अनियमित वापसी द्वारा अनुचित वित्तीय लाभ दिया गया था।
- संकर्म संविदाकारों को केन्द्रीय पंजीयन के अन्तर्गत पूँजीगत माल को खरीदने के लिये अनियमित रूप से अधिकृत किया गया था।
- आन्तरिक लेखापरीक्षा जो सक्षम कार्यशैली सुनिश्चित करने तथा राजस्व के रिसाव को रोकने का एक प्रबन्धकीय तन्त्र है, को उचित महत्व नहीं दिया गया जैसे लेखापरीक्षा अधिकारी के समस्त पद एवं वरिष्ठ लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक के आधे से अधिक पद खाली पड़े हुये थे।
- अपंजीकृत संविदाकारों को पता लगाने हेतु सर्वेक्षण का तरीका अपर्याप्त था क्योंकि केवल पाँच वाणिज्य कर कार्यालयों में सर्वेक्षण किया गया था तथा इन पाँच कार्यालयों में वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि में केवल 25 अपंजीकृत संविदाकारों का पता चला था।

2-4 yqkki jh{k i dk.k

हमारी 576 वाणिज्य कर विभाग के 2,19,667 में से 75,388 कर निर्धारण आदेशों की जाँच में अधिनियमों/नियमों को अमल में ना लाये जाने, कर/अर्थदण्ड/ब्याज के अनारोपण, अनियमित करमुक्ति, कर की त्रुटिपूर्ण दर लगाये जाने आदि के प्रकरण सहित अनेक मामले प्रकाश में आये जो कि इस अध्याय में आगे दिये गये प्रस्तरों में जल्लिखित हैं। ये प्रकरण उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे नमूना जाँच पर आधारित हैं।

कर निर्धारण प्राधिकारियों के स्तर पर ऐसी त्रुटियाँ प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती हैं परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं अपितु लेखापरीक्षा होने तक ये प्रकाश में नहीं आती हैं।

2-5 dj dk vukjki .k@de vkjki .k

क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय दरों की अनुसूची में उल्लिखित कर की सही दर को लागू नहीं किया, कुछ मामलों में माल के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण कर की न्यूनतर दरें लागू की गयी एवं कुछ मामलों में कोई कर आरोपित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.27 करोड़ के कर का अनारोपण / कम आरोपण हुआ जैसा कि उत्तरवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित है:

2-5-1 mRrj insk eW; l of/kr dj

उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर (उ0प्र0 मू0सं0क0) अधिनियम 2008 की धारा 4(1) के अन्तर्गत अनुसूची-I में शामिल वस्तुएं कर मुक्त हैं, अनुसूची-II में शामिल वस्तुएं चार प्रतिशत की दर से, अनुसूची-III में शामिल वस्तुएं एक प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं तथा वे वस्तुएं जो अनुसूची-IV में शामिल हैं, शासन द्वारा समय-समय पर विज्ञापित दरों के अनुसार कर योग्य हैं। 1 जनवरी 2008 से वस्तुएं जो उपरोक्त किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं हैं, वो अनुसूची-V में शामिल हैं एवं 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। एक प्रतिशत का अतिरिक्त कर भी दिनांक 1 जून 2009 से आरोपणीय है।

2-5-1-1 dj dl xyk nj yxk; s tkus l s dj dk vukjki .k@de vkjki .k

हमने 50 वाणिज्य कर कार्यालयों (वा0क0का0) में व्यापारियों से सम्बन्धित क0नि0आ0 एवं पत्रावलियों में पाया (जून 2012 एवं मार्च 2014 के मध्य) कि 65 व्यापारियों द्वारा ₹ 100.56 करोड़ मूल्य के माल की 2007–08 (1.1.2008 से 31.3.2008) से 2011–12 के मध्य बिक्री पर अनुसूची में दिये गये कर की दर के बजाय उनका कर निर्धारण नवम्बर 2009 से मार्च 2013 के मध्य करते समय सम्बन्धित कर निर्धारण प्राधिकारियों (क0नि0प्रा0) द्वारा उनके द्वारा दाखिल कर विवरणियों के अनुसार कर को स्वीकार किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.11 करोड़ का अनारोपण / कम आरोपण हुआ जैसा कि i f'f'k"V&X में दर्शाया गया है।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2012 एवं मई 2014 के मध्य)। विभाग ने उत्तर में बताया कि डिओकमि0 खण्ड-1 एवं 4 गाजियाबाद तथा डिओकमि0 खण्ड-10 कानपुर ने ₹ 43.96 लाख मू0 सं0 कर आरोपित कर दिया एवं शेष मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

2-5-1-2 VuLvkj dk dj fu/kkj .k l s NW tkuk

उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत क0नि0प्रा0 को व्यापारी के व्यापार और अन्य सुसंगत अभिलेखों से सम्बन्धित उसके द्वारा रखे जाने वाले खाते लेखे और अभिलेखों की जाँच करके क0नि0आ0 द्वारा कर निर्धारण को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

हमने सात वा0क0का0 के अभिलेखों के व्यापार और लाभ हानि खाता, वार्षिक बैलेन्स शीट, वर्तमान और पिछले वर्षों का कर निर्धारण आदेश आदि की जाँच में पाया (सितम्बर 2012 और नवम्बर 2013 के मध्य) कि सात व्यापारियों के मामले में वर्ष 2007–08 (1.1.2008 से 31.3.2008) से 2009–10 की अवधि में क0नि0प्रा0 को प्रस्तुत अभिलेखों में इन व्यापारियों ने ₹ 5.11 करोड़ की बिक्री को टर्नओवर के रूप में दर्शाया। इन व्यापारियों की सम्बन्धित कर निर्धारण पत्रावलियों में छूटे हुए टर्नओवर का विवरण उपलब्ध था, से स्पष्ट था एवं क0नि0प्रा0 द्वारा कर निर्धारण करते समय इन विवरणों की जाँच की जानी चाहिए थी। परन्तु क0नि0प्रा0 द्वारा जनवरी 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय संज्ञान में नहीं लिया गया। इसके

परिणामस्वरूप ₹ 38.18 लाख का कम आरोपित किया जैसा कि **ifjf'k"V&XI** में दर्शाया गया है।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (दिसम्बर 2012 और जनवरी 2014 के मध्य)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

2-5-1-3 VklU i kVlku rFkk i fei k pktit dks VuMkoj e; 'kkfey u fd; s tkus ds QyLo: i dj dk de vkjki .k

उ0प्र0 मू0सं0क0 2008 की धारा-2(कघ) के अन्तर्गत किसी माल के विक्रय के लिए प्रतिफल के रूप में किसी व्यापारी को संदेय धनराशि से है जो व्यापार में सामान्य रूप से प्रचलित व्यवहार के अनुसार नकद छूट के रूप में किसी अनुज्ञात धनराशि को घटा करके, उसमें ऐसी धनराशि को सम्मिलित करके आये, जो माल के सम्बन्ध में ऐसे माल के परिदान के समय या उसके पूर्व व्यापारी द्वारा, किसी बात के लिये प्रभारित की गयी है, उन दशाओं के सिवाय जिसमें जावक भाड़ा या परिदान का खर्च या संस्थापन का खर्च अलग से प्रभारित किया जाता है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में निर्णीत किया है (टी टी रिवीजन सं0 2003 का 1463 दिनांक 17.01.2011) कि "जहाँ पर आपूर्ति संविदा के अन्तर्गत एफ0ओ0आर0 (फ्री आन रेल) गत्तव्य स्थान के लिए होती है, वहाँ माल का स्वामित्व, गत्तव्य स्टेशन पर माल की सुपुर्दगी तक आपूर्तिकर्ता के पास रहता है वहाँ पर व्यापारी द्वारा फ्रेट तथा बीमा चार्जेज किया गया व्यय बिकी मूल्य का भाग होता है।"

हमने डिओक0 खण्ड-8 गाजियाबाद कार्यालय के एक व्यापारी के वर्ष 2008-09 से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावली की जाँच में पाया (अक्टूबर 2013) कि क0निओप्रा0 ने अप्रैल 2012 में कर निर्धारण करते समय ₹ 23.45 करोड़ के मूल्य का रेडी-मिक्स कंक्रीट की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया। क0निओप्रा0 ने एफ0ओ0आर0 आधार पर प्राप्त ₹ 1.93 करोड़ ट्रान्सपोर्टेशन तथा पम्पिंग चार्जेज जो टर्नओवर का भाग था, पर कर आरोपित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 24.18 लाख का कम कर आरोपित हुआ।

हमने मामलों को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (दिसम्बर 2012)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

2-5-2 fujfl r 0; ki kj dj vf/kfu; e ds vUrxfr fu/kkfr j r Qke&3?k i j e0I 0d0 vof/k e; vfu; fer : i I s NW fn; s tkus ds QyLo: i dj dk de vkjki .k

उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम की धारा-4(1)(घ) के अन्तर्गत, 1 जनवरी 2008 से जो वस्तुएं अनुसूची-I, अनुसूची-II, अनुसूची-III तथा अनुसूची-IV में वर्गीकृत नहीं है, वे अनुसूची-V में 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। उ0प्र0 व्या0क0 2008 की धारा-3 जी में उल्लिखित किसी कम्पनी/कारपोरेशन या उपक्रम को माल की बिकी के सम्बन्ध में एक घोषणा पत्र फार्म 3 घ निर्धारित है। दिनांक 1 जनवरी 2008 से उ0प्र0 व्या0क0 1948 को निरसित किये जाने के पश्चात् मू0सं0क0 अवधि में की गयी खरीद या बिक्री पर निरसित उ0प्र0 व्या0क0 2008 की अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्रों से कर की छूट अनुमन्य नहीं है।

हमने ज्वाइन्ट कमिशनर वाणिज्य कर झोसी के कार्यालय से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावली की जाँच में पाया (सितम्बर 2013) कि एक व्यापारी ने 2008-09 के मू0सं0क0 अवधि में ₹ 1.33 करोड़ मूल्य के रेलवे स्लीपर की बिक्री किया जिस पर उ0प्र0व्या0क0 2008 की अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र 3घ जो विधिक नहीं नहीं था, पर रियायती दर चार प्रतिशत की दर से कर जमा किया। क0निओप्रा0 ने मई 2012 में कर निर्धारण करते समय इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि फार्म 3घ मू0सं0क0 अवधि के लिए विधिक नहीं था तथा 12.5 प्रतिशत की दर के बजाय चार प्रतिशत की दर से

कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.31 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

हमने मामले को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (नवम्बर 2013)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

2-5-3 mRrj i n's k 0; ki kj dj

2-5-3-1 0; ki kj dj dh xyr nj yxk; s tkus l s dj dk de vklkj .k

उ0प्र0 व्यापार कर (उ0प्र0व्या0क0) अधिनियम 1948 की धारा 3-क के अन्तर्गत, शासन द्वारा समय पर विज्ञापित दरों की अनुसूची के अनुसार वर्गीकृत वस्तुओं पर कर आरोपणीय होता है। जो वस्तुएं निर्धारित दरों की अनुसूची में वर्गीकृत नहीं है उन पर 1 दिसम्बर 1998 से 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है।

हमने दो वाणिज्य कर कार्यालयों (वा0क0का0) के व्यापारियों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच में पाया (अक्टूबर 2012 एवं जून 2013 के मध्य) कि दो व्यापारियों द्वारा ₹ 1.49 करोड़ मूल्य के माल की 2005–06 से 2007–08 (1.1.2007 से 31.12.2007) की अवधि के मध्य बिक्री पर व्यापार कर अनुसूची में दिये गये कर की दर के बजाय मार्च 2009 से फरवरी 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा उनके द्वारा दाखिल कर विवरणियों के अनुसार कर को स्वीकार किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 25.93 लाख के व्यापार कर का कम आरोपण हुआ जैसा कि । kj .kh 2.11 में दर्शाया गया है।

I kj .kh 2-11

0; ki kj dj dh xyr nj yxk; s tkus l s dj dk de vklkj .k

| (₹ yklkj .k) | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|--------------------------|--|---------------------|-------------------|---|------------------------|
| 00 1 0 | dk; kly; dk uke | 0; ki kj h dh l d'; k | dj fu/kkj .k o"kl /dj fu/kkj .k vkn's'k dk ekg o o"kl | oLrq dk uke | dj ; kx VuVkoj | vkj kj .kh; @ vkj kf i r dj dl nj Vi fr' kr% | de vkj kf i r dj |
| 1 | डिंकमि० खण्ड-6 लखनऊ | 1 | 2007-08 (फरवरी 2013) | गुटखा ¹³ | 121.34 | 32.5/12.5 | 24.27 |
| 2 | डिंकमि० खण्ड-16 लखनऊ | 1 | 2005-06 (मार्च 2009) | सेनेट्री नैपकीन | 15.16 | 16/10 | 0.91 |
| | | | 2006-07 (अक्टूबर 2009) | | 12.45 | 16/10 | 0.75 |
| | ; kx | 2 | | | 148.95 | | 25.93 |

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (नवम्बर 2012 और सितम्बर 2013 के मध्य)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

2-5-3-2 jkT; fodkl dj dk vukljki .k

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 3(ज) प्रभावी दिनांक 1 मई 2005 के अन्तर्गत ₹ 50 लाख से अधिक समेकित वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के कर योग्य टर्नओवर पर एक प्रतिशत की दर से राज्य विकास कर (रा0वि0क0) आरोपणीय होगा। इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत देय कर के अतिरिक्त रा0वि0क0 वसूल किया जायेगा।

हमने डिंकमि० खण्ड-28 कानपुर के व्यापारी के कर निर्धारण आदेश एवं व्यापारियों से सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच में पाया (दिसम्बर 2013) कि दो व्यापारियों का वर्ष 2005–06 और 2006–07 की अवधि का समेकित वार्षिक टर्नओवर ₹ 50 लाख से अधिक था परन्तु क0नि०प्रा० ने मई 2012 तथा जून 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय ₹ 16.48 करोड़ के कर योग्य टर्नओवर पर ₹ 16.48 लाख का रा०वि०क० आरोपित नहीं किया। क0नि०प्रा० के स्तर पर इस चूक के परिणामस्वरूप उस स्तर तक रा०वि०क० अनारोपित रहा।

¹³ दिनांक 30/05/2007 कर की दर 32.5 प्रतिशत।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (फरवरी 2014)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

2-6 vFkh.M dk vukjks .k

क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय व्यापारियों द्वारा किये गये अपराधों पर ध्यान नहीं दिया जैसा कि अनियमित संव्यवहार लेखों से बाहर संव्यवहार उ0प्र0 व्या0क0 और उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल संव्यवहार आदि। यद्यपि कि अधिनियम में अर्थदण्ड के आरोपण किये जाने हेतु स्पष्ट प्रावधान हैं, फिर भी सम्बन्धित क0नि0प्रा0 ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.96 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ जैसा कि अग्रेतर प्रस्तरों में उल्लिखित है:

2-6-1 mRrj i ns k ew; l of/ktr dj

2-6-1-1 foyEc l s dj tek fd; s tkus i j vFkh.M dk vukjks .k

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा-54 (1) 1 (क) के अन्तर्गत, यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी या अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपने टर्नओवर का विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहा है या इन अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार कर को जमा करने में असफल रहा है तो वह व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि यदि उसके द्वारा कोई कर देय हो तो वह कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में ऐसे शुद्ध देय कर का 20 प्रतिशत के अर्थदण्ड अदा करे।

हमने 44 वा0क0का0 में व्यापारी से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावली की जाँच में पाया (दिसम्बर 2012 एवं दिसम्बर 2013 के मध्य) कि 69 व्यापारियों ने वर्ष 2007-08 (1.1.2008 से 31.3.2008) से 2011-12 के लिए ₹ 24.76 करोड़ के अपने स्वीकृत कर को समय से जमा नहीं किया था। 75 मामलों जोकि 69 व्यापारियों से सम्बन्धित थे, में से सिर्फ 12 व्यापारियों द्वारा अपना स्वीकृत कर ब्याज सहित जमा किया तथा शेष व्यापारियों द्वारा अपना स्वीकृत कर बिना ब्याज के जमा किया। विलम्ब की अवधि पाँच दिन से तीन वर्ष और 11 महीने तक की थी। क0नि0प्रा0 ने मार्च 2011 एवं मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय देय कर के अतिरिक्त ₹ 4.95 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जैसा कि ijf'k"V&XII में दर्शाया गया है।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन प्रतिवेदित किये (फरवरी 2013 एवं अप्रैल 2013 के मध्य)। विभाग ने उत्तर में बताया कि डि0कमि0 खण्ड-3 कानपुर ने ₹ 58,000/- का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया एवं शेष मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

2-6-1-2 VuMkoj ds fNi k; s tkus i j vFkh.M dk vukjks .k

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा-54(1)(2) के अन्तर्गत जहाँ पर व्यापारी ने अपने टर्नओवर का विवरण छिपाया हो या ऐसे टर्नओवर का असत्य विवरण जानबूझकर प्रस्तुत किया हो या इस अधिनियम के अधीन मिथ्या कर विवरणी प्रस्तुत किया हो या कर संदाय का अपवंचन किया हो जिसका वह इस अधिनियम के अधीन भुगतान करने का दायी है, तो क0नि0प्रा0 व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि वह कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में छिपायी गयी या परिवर्जित की गयी कर की धनराशि का तीन गुना अर्थदण्ड का भुगतान करे।

हमने 42 वा0क0का0 के अभिलेखों में व्यापारियों का अंतिम क0नि0अ0, स्वीकृत कर जो व्यापारियों द्वारा जमा कर दिया गया है और अपीलीय प्राधिकारियों का आदेश में पाया (जनवरी 2013 एवं जनवरी 2014 के मध्य) कि 61 व्यापारियों ने वर्ष 2007-08 (1.1.2008 से 31.3.2008) से 2011-12 के मध्य ₹ 13.46 करोड़ खरीद और बिक्री के टर्नओवर को छिपाया था। क0नि0प्रा0 ने मई 2010 एवं मार्च 2013 के मध्य उनका कर निर्धारण करते समय इस छिपाये गये टर्नओवर पर ₹ 66.19 लाख कर आरोपित किया।

यद्यपि 23 मामले में अपीलीय प्राधिकारियों¹⁴ ने (अक्टूबर 2010 और जुलाई 2013 के मध्य) व्यापारियों द्वारा छिपाये गये टर्नओवर/देय कर का अपवंचन की पुष्टि की एवं शेष मामलों में व्यापारियों द्वारा इसे स्वयं स्वीकार करते हुए छिपाये गये टर्नओवर पर देय कर जमा कर दिया गया परन्तु सम्बन्धित क0निप्रा0 ने ₹ 1.98 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जैसा कि i fff'k"V&XIII में दर्शाया गया है।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (मार्च 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य)। विभाग ने उत्तर में बताया कि असिंकमिंग गुलावटी ने ₹ 1.80 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया। शेष मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

2-6-1-3 xyr ?kk'k. kk i = nkf[ky dju s i j vFkh.M dk vulkjki . k

उपरोक्त मूर्तिका अधिनियम की धारा 54 (1)(11)(i) के अनुसार (सपष्टित केंद्रिका अधिनियम की धारा-9) यदि क0निप्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी इस अधिनियम के अधीन विहित मिथ्या या गलत प्रमाण पत्र जारी करता हो या प्रदान करता हो, जिसके कारण विक्रय या क्रय पर कर उद्ग्रहणीय नहीं रह जाता है, तो वह ऐसे व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि वस्तु के मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करें।

हमने ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्पोरेशन) वाणिज्य कर नोयडा के कार्यालय से सम्बन्धित व्यापारी के कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावली की जाँच में पाया (नवम्बर 2013) कि एक व्यापारी (भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नोयडा) ने वर्ष 2008-09 में ₹ 14.73 करोड़ के सीमेंट तथा स्टील की बिक्री दस्तावेज हस्तांतरण के माध्यम से किया जिस पर कर मुक्ति का दावा किया। क0निप्रा0 ने कर निर्धारण (जून 2012 में) करते हुए इस बिक्री को दस्तावेज हस्तांतरण के रूप में नहीं पाया तथा इस प्रकार की बिक्री को कर मुक्त नहीं किया। फिर भी गलत घोषणा के लिए ₹ 7.37 करोड़ अर्थदण्ड आरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया।

हमने मामले को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (जनवरी 2014)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

2-6-1-4 feF; k fc0H i j vFkh.M dk vulkjki . k

उपरोक्त मूर्तिका अधिनियम की धारा 54 (1)(11) (ii) के अनुसार यदि क0निप्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी इस अधिनियम के अधीन विहित माल का वास्तविक विक्रय किये बिना कर बीजक या विक्रय बीजक जारी करता है तो वह ऐसे व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि वस्तु के मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करें।

हमने डिप्टी कमिशनर खण्ड-8, बरेली के कार्यालय के व्यापारी से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावली की जाँच में पाया (जनवरी 2013) कि एक व्यापारी ने वर्ष 2008-09 की अवधि में ₹ 46.37 लाख के माल का वास्तविक विक्रय किये बिना विक्रय बीजक जारी किया। क0निप्रा0 ने वर्ष 2009-10 का कर निर्धारण आदेश पारित नहीं किया जो क0निप्रा0 के स्तर पर एक चूक थी। यद्यपि क0निप्रा0 ने फरवरी 2012 में धारा-8 के अन्तर्गत आदेश पारित करते हुए कर आरोपित किया लेकिन वास्तविक विक्रय के बिना, विक्रय बीजक जारी किये जाने पर व्यापारी पर ₹ 23.18 लाख अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

हमने मामले को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मार्च 2013)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

¹⁴ असिंकमिंग खण्ड-3 आगरा, डिंकमिंग खण्ड-14 आगरा, डिंकमिंग खण्ड-15 आगरा, डिंकमिंग खण्ड-4 अलीगढ़ डिंकमिंग खण्ड-1 बदायू, असिंकमिंग खण्ड-2 बांदा, असिंकमिंग खण्ड-2 बुलन्दशाहर डिंकमिंग-3 चन्दौली, डिंकमिंग खण्ड-12 गोरखपुर, असिंकमिंग गुलावटी, डिंकमिंग खण्ड-1 झांसी डिंकमिंग खण्ड-2 लखीमपुरखीरी, योकोआ० खण्ड-2 मऊ, डिंकमिंग खण्ड-1 मिर्जापुर, डिंकमिंग खण्ड-2 सम्मल डिंकमिंग खण्ड-2 सीतापुर

2-6-1-5 feF; k [kjhn ij vFkh.M dk vukjks .k

उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54(1)(11)(iv) के अनुसार, यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी इस अधिनियम के अधीन विहित माल का वास्तविक क्रय किये बिना कर बीजक या विक्रय बीजक प्राप्त करता है, तो वह ऐसे व्यापारी को निर्देश दे सकता है, कि वस्तु के मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करें।

हमने तीन वार्षिकों के व्यापारियों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच में पाया (सितम्बर 2013 एवं दिसम्बर 2013 के मध्य) कि चार व्यापारियों ने वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के दौरान ₹ 62.89 लाख के माल का वास्तविक क्रय किये बिना कर बीजक प्राप्त किया। क0नि0प्रा0 ने अप्रैल 2012 एवं सितम्बर 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय कर आरोपित किया लेकिन वास्तविक क्रय किये बिना क्रय बीजक प्राप्त किये जाने पर व्यापारी पर ₹ 31.44 लाख अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जैसा कि 1 kj .kh 2-12 में दर्शाया गया है।

I kj .kh 2-12
feF; k [kjhn ij vFkh.M dk vukjks .k

| 00 । ० | bdkbz dk uke | 0; ki kjh dh I ० | dj fu/kkj.k o"kl \dj fu/kkj.k vkn'k dk ekg , o"kl | okLrfod Ø; fd; s fcuk dj @foØ; chtd dh /kujkf'k | (₹ yk[k ei vkJks .kh; vFkh.M |
|-----------|---------------------------------|------------------|---|---|------------------------------------|
| 1 | असिंह कमिं खण्ड-1 हाथरस | 1 | 2008-09 (जून 2012) | 35.21 | 17.60 |
| | | 1 | 2008-09 (जून 2012) | 16.58 | 8.29 |
| 2 | डिप्टी कमिं खण्ड-4 मेरठ | 1 | 2008-09 (सितम्बर 2012) | 6.13 | 3.07 |
| | | | 2009-10 (मार्च 2013) | 2.04 | 1.02 |
| 3 | डिप्टी कमिं खण्ड-1 मुरादाबाद | 1 | 2008-09 (अप्रैल 2012) | 2.93 | 1.47 |
| | ; kx | 4 | | 62.89 | 31.44 |

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

हमने मामलों को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (अक्टूबर 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

2-6-2 0; ki kj dj ds v/khu VuVkj ds fNik; s tkus ij vFkh.M dk vukjks .k

उ0प्र0 व्यारोक0 अधिनियम की धारा-15 के (1)(ग) के अन्तर्गत यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि व्यापारी ने अपना टर्नओवर छिपाया है अथवा जानबूझकर अपने टर्नओवर के सम्बन्ध में गलत विवरण प्रस्तुत किया है, तो वह ऐसे व्यापारी को कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार बचाये गये कर के 50 प्रतिशत से कम नहीं किन्तु 200 प्रतिशत से अनधिक की धनराशि का भुगतान करने हेतु निर्देशित कर सकता है।

हमने डिंकमिं खण्ड-9 लखनऊ वारोकोका0 में व्यापारी से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावली की जाँच में पाया (फरवरी 2013) कि एक व्यापारी ने वर्ष 2001–02 (मूल कर निर्धारण आदेश जनवरी 2004 में पारित कर दिया गया था परन्तु पुनरावेदन के विभिन्न स्तर पर होने के कारण इसका अन्तिम कर निर्धारण आदेश अगस्त 2011 में पारित किया गया) के दौरान ₹ 1.06 करोड़ विक्रय टर्नओवर को छिपाया था, जिस पर क0नि0प्रा0 द्वारा अगस्त 2011 में ₹ 21.23 लाख का कर आरोपित किया गया परन्तु क0नि0प्रा0 ने ₹ 10.62 लाख का न्यूनतम अर्थदण्ड भी आरोपित नहीं किया गया।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2013)। विभाग ने उत्तर में बताया कि ₹ 10.62 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है।

2-7 i d'sk dj

2-7-1 i d'sk dj dk vukjks .k

उ0प्र0 माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 की धारा 4 के अन्तर्गत शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों की अनुसूची के अनुसार माल के मूल्य पर प्रवेश कर आरोपणीय है।

हमने 22 वारकारो के व्यापारियों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच में पाया (जनवरी 2013 एवं जनवरी 2014 के मध्य) कि वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान 31 व्यापारियों ने ₹ 106.11 करोड़ के मूल्य का माल स्थानीय क्षेत्र के बाहर से खरीदा। करनीप्राप्त ने जनवरी 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय इस मामले की जाँच नहीं किया कि माल स्थानीय क्षेत्र के बाहर से खरीदा गया था जिस पर प्रवेश कर आरोपणीय था, परिणामस्वरूप ₹ 1.40 करोड़ के प्रवेश कर का अनारोपण हुआ जैसा कि i f'f'k"V&XIV में दर्शाया गया है।

हमने मामलों को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मार्च 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य)। विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि ज्याइन्ट कमिशनर (कार्पोरेशन) I, वाराणसी द्वारा प्रवेश कर के रूप में ₹ 77,000 आरोपित कर दिया गया है। शेष मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

2-7-2 fuelk }jk eky dh dher ei e0l 0d0 dks 'kkfey u fd; s tkus ds QyLo: i i d'sk dj dk de ol ly fd; k tkuk

उ0प्र0 माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर अधिनियम 2007 की धारा 12 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे माल को जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, राज्य के भीतर किसी विनिर्माता से किसी स्थानीय क्षेत्र में लाने का इरादा रखता हो, वह विनिर्माता से माल का परिदान प्राप्त करते समय, स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश पर देय कर का भुगतान विनिर्माता को करेगा और विनिर्माता इस प्रकार भुगतान किये गये कर को प्राप्त करेगा। पुनर्शब्द: विनिर्माता ऐसे माल की सुपुर्दगी क्रेता को तब तक नहीं करेगा जब तक देय कर का भुगतान क्रेता द्वारा नहीं कर दिया जाता। विनिर्माता इस प्रकार प्राप्त कर को ऐसी रीति तथा ऐसे समय के भीतर जैसाकि निर्धारित किया जाय, जमा करेगा। यदि विनिर्माता कर को जमा करने में असफल रहता है, वहाँ वह कर के भुगतान कर दायी होगा, जिसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

हमने आठ वारकारो के व्यापारियों से सबन्धित कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच में पाया (मई 2013 एवं जनवरी 2014 के मध्य) कि 12 विनिर्माताओं ने वर्ष 2008–09 एवं 2010–11 की अवधि में ₹ 418.99 करोड़ (मूर्संको सहित) के माल को बेचा तथा स्थानीय क्षेत्र के बाहर क्रेताओं को सुपुर्दगी में दिया जिस पर प्रवेश कर वसूलनीय था लेकिन विनिर्माताओं द्वारा माल के मूल्य पर कर नहीं वसूल किया गया। करनीप्राप्त ने जनवरी 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय इस पक्ष पर विचार न किये जाने के फलस्वरूप ₹ 29.41 लाख के प्रवेश कर की कम वसूल हुयी जैसा कि i f'f'k"V&XV में दर्शाया गया है।

हमने मामलों को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

2-7-3 i f'k ds Lrj ij eky dh dher ei e0l 0d0 dks 'kkfey u fd; s tkus ds dkj.k i d'sk dj dk de vujks .k

उ0प्र0 माल के प्रवेश पर अधिनियम 2007 की धारा 4 के अन्तर्गत शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों की अनुसूची के अनुसार, माल के मूल्य पर प्रवेश कर आरोपणीय है। पुनर्शब्द: उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम की धारा-2(एच) में यथा

परिभाषित माल की कीमत निर्धारित है, जिसमें क्रेता को माल की सुपुर्दगी के समय के अन्य खर्चे जैसे पैकिंग मैटीरियल, फ्रेट चार्ज तथा इक्साइज ड्यूटी इत्यादि के अतिरिक्त प्रभारित कर भी शामिल हैं।

हमने डिओ खण्ड-8 वार्षिको कानपुर के अभिलेखों की जाँच में पाया (अप्रैल 2013) कि वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान एक व्यापारी ने ₹ 175.21 करोड़ गुटखा की खरीद विनिर्माता से किया। व्यापारी ने माल की सुपुर्दगी लेते समय ₹ 7.75 करोड़ का प्रवेश कर विनिर्माता को भुगतान किया जिसमें गुटखा की मूल कीमत में मूर्संको को शामिल नहीं किया गया। विनिर्माता द्वारा चार्ज किया गया मूर्संको माल की कीमत का भाग था जिस पर अधिनियम की धारा-2(एच) में माल की कीमत में मूर्संको को शामिल करके प्रवेश कर आरोपणीय था। क०निंप्रा० ने अक्टूबर 2011 एवं अप्रैल 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय माल की कीमत मूर्संको सहित ₹ 175.21 करोड़ पर प्रवेश कर का आरोपण अपेक्षित था। हमने देखा कि क०निंप्रा० ने इस पक्ष पर विचार नहीं किया जिसके फलस्वरूप ₹ 1.01 करोड़ प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ। जैसा कि । क्ष. क्ष 2.13 में दर्शाया गया है।

I k. kh 2-13

eky dh dher e0 e01 0d0 'kkfey u fd; s tkus ds QyLo: i i dsk dj dk de
vkjk .k

| R yk[k ei | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|-------------------------|---|-------------------|---|-------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|------------------------|--|
| 00 10a | bdkbz dk uke | 0; ki kfj ; k dh I 0 | dj fu/kkj .k o"kl(dj fu/kkj .k vkn'k dk elg , oa o"k) | oLrq dk uke | eky dh dher fcuk e01 0d0 ds | vkjk .k; dj dh nj (ifr0 e) | e01 0d0 | eky dh dher e01 0d0 I fgr | vkjk .k; i dsk dj | vkjk .k i dsk dj | de ol y dh x; h i dsk dj dh /kujk'k |
| 1 | डिओ कमि० खण्ड-8, कानपुर | 1 | 2008-09 (अक्टूबर 2011) | गुटखा | 5,116.05 | 5 | 639.51 | 5,755.56 | 287.78 | 255.80 | 31.98 |
| | | | 2009-10 (अप्रैल 2012) | गुटखा | 10,381.22 | 5 | 1,384.16 | 11,765.38 | 588.27 | 519.06 | 69.21 |
| | | ; kx | | 15,497.27 | | 2,023.67 | 17,520.94 | 876.05 | 774.86 | 101.19 | |

स्रोत: लेखापरीका परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

हमने मामलों को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2013)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

2-7-4 i dsk dj ol y u fd; k tkuk rFkk vFkh.M dk vukjk .k

उ०प्र० माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 की धारा 12 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे माल को जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, राज्य के भीतर किसी विनिर्माता से किसी स्थानीय क्षेत्र में लाने का इरादा रखता हो, वह विनिर्माता से माल का परिदान प्राप्त करते समय, स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश पर देय कर का भुगतान विनिर्माता को करेगा और विनिर्माता इस प्रकार भुगतान किये गये कर को प्राप्त करेगा। विनिर्माता ऐसे माल की सुपुर्दगी क्रेता को तब तक नहीं करेगा जब तक देय कर का भुगतान क्रेता द्वारा नहीं कर दिया जाता। पुनश्च: विनिर्माता यदि इस प्रकार कटौती करने में असफल रहता है या कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह के 20वें दिन की समाप्ति के पूर्व कोषागार में जमा करने में असफल रहता है तो क०निंप्रा० उ० प्र० मूर्संको अधिनियम की धारा-34(8) के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति को अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार कटौती योग्य धनराशि या काटी गयी धनराशि के दो गुने से अनधिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

हमने पाँच वार्षिकों के व्यापारियों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच में पाया (अगस्त 2013 एवं दिसम्बर 2013 के मध्य) कि पाँच विनिर्माताओं ने

वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के दौरान ₹ 10.89 करोड़ का माल बेचा तथा स्थानीय क्षेत्र के बाहर क्रेताओं को सुपुर्दगी में दिया। जिस पर प्रवेश कर वसूलनीय था लेकिन विनिर्माताओं द्वारा माल के मूल्य पर ₹ 10.89 लाख प्रवेश कर नहीं वसूल किया। इसके अतिरिक्त एक मामले में (सारणी सं 2.14 के क्रम सं 3) एक व्यापारी ने माल की बिक्री पर ₹ 2.60 लाख का प्रवेश कर वसूल किया लेकिन 147 दिन विलम्ब से शासकीय कोषागार में जमा किया। क०नि०प्रा० ने अप्रैल 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय ₹ 10.89 लाख प्रवेश कर की वसूली करने में असफल रहने तथा ₹ 2.60 लाख प्रवेश कर को विलम्ब से जमा पर ₹ 23.12 लाख अर्थदण्ड के आरोपण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही नहीं किया जैसा कि । kj.kh 2.14 में दर्शाया गया है।

Lkj.kh 2-14

i dsk dj ol iy u fd;k tkuk rFkk vFkh.M dk vukjkis.k

| ०e 1 ०a | bdkbz dk uke | 0; ki kfj ; dhl i ० | k; dj fu/kkj .k o"kl(dj fu/kkj .k vkn'k dk ekg , oa o"kl) | oLrq dk uke | dj ; kk; Vuivkoj | ol iyuh; /ol iy dh x; h i dsk dj dh nj Vi fr'kr ek | ol iy u dh x; h i dsk dj dh /kujkf'k/ foyfEcr tek | foyEc dh vof/k fnuka ea | vkjki .kh; vFkh.M |
|------------|----------------------------------|------------------------|--|--|---------------------|--|---|-------------------------------|---|
| 1 | डिं० कमि० खण्ड-12 आगरा | 1 | 2009-10 (फरवरी 2013) | लोहे की पत्ती (कमानी की पत्ती) | 193.41 | 1/0 | 1.93 | कर नहीं काटा गया | अपीली प्राधिकरण द्वारा अर्थदण्ड को समाप्त किया गया |
| 2 | डिं०कमि० खण्ड-17 गाजियाबाद | 1 | 2009-10 (मार्च 2013) | स्टील कास्टींग | 95.75 | 1/0 | 0.96 | कर नहीं काटा गया | 1.92 |
| 3 | डिं०कमि० खण्ड-18 गाजियाबाद | 1 | 2008-09 (जून 2012) | - | - | - | 2.60 | 147 | 5.21 |
| 4 | डिं०कमि० खण्ड-10 कानपुर | 1 | 2008-09 (जून 2012) | कम्प्यूटर पेपर | 645.17 | 1(5-4)/0 | 6.45 | कर नहीं काटा गया | 12.90 |
| 5 | डिं०कमि० खण्ड-9 नोएडा | 1 | 2008-09 (अप्रैल 2012) | लोहे का बार | 154.56 | 1/0 | 1.55 | कर नहीं काटा गया | 3.09 |
| | ; fik | 5 | | | 1,088.89 | | 13.49 | | 23.12 |

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

हमने मामलों को विभाग तथा शसन को प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

2-8 dñh; fcØh dj

2-8-1 dñh; i ath; u i ek.k i = dñ vfū; fer Lohdfr

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 7(3) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो दूसरे राज्य से कर की रियायती दर से माल खरीदने के लिए अभिप्रेत हो, वह इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन के लिए आवेदन करेगा। पंजीयन प्राधिकारी, आवेदनकर्ता का पंजीयन करेगा, एवं विहित प्रारूप में उसे पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदान करेगा, जिसमें उस वर्ग या वर्गों के माल को निविदिष्ट करेगा जो उसके द्वारा पुनः विक्रय के लिए या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए उसके द्वारा विक्रयार्थ माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में या दूरसंचार नेटवर्क या खनन में या बिजली या किसी अन्य प्रकार की शक्ति के लिए उत्पादन या वितरण में उपयोग में लाये जाने के लिए आशयित है। पुनश्च: कमिशनर वाणिज्य कर (क०वा०क०) ने सभी कर निर्धारण अधिकारियों को परिपत्र सं 0-17 दिनांक 4 दिसम्बर 1992 द्वारा यह निर्देशित किया था

कि निर्माताओं/व्यापारियों को भवन निर्माण के लिए सीमेंट एवं अन्य भवन निर्माण सामग्रियों की फार्म 'सी' से खरीद की सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी।

हमने ज्वाइट कमिश्नर (कार्पोरेशन) वाटोको गौतमबुद्ध नगर के व्यापारियों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच के दौरान पाया (मई 2013) कि एक व्यापारी (एन०टी०पी०सी०लि० गौतमबुद्धनगर) को फरवरी 1984 में ऊर्जा के उत्पादन के लिए कच्चा माल की खरीद हेतु केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र (के०प०प्र०प०) प्रदान किया गया था। के०प०प्र०प० में सीमेंट और आयरन एवं स्टील की खरीद भी अनुमन्य थी जिसका विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में उपयोग नहीं होता है। व्यापारी ने वर्ष 2007–08 एवं 2009–10 के दौरान कारखाने के निर्माण में प्रयुक्त होने के लिए ₹ 27.78 करोड़ की सीमेंट एवं ₹ 6.10 करोड़ की आयरन एवं स्टील की खरीद की जो कि उसके के०प०प्र०प० में त्रुटिपूर्ण तरीके से शामिल था। व्यापारी द्वारा इस खरीद पर के०बि०को की रियायती दर (2007–08 एवं 2008–09 में 31 मई 2008 तक के लिए तीन प्रतिशत एवं दिनांक 1 जून 2008 से दो प्रतिशत की दर से) का दावा किया। चूंकि व्यापारी का व्यापार विद्युत ऊर्जा के उत्पादन एवं वितरण का था और उक्त के उत्पादन के लिए सीमेंट एवं आयरन स्टील कच्चा माल/प्रसंस्करण सामग्री नहीं है। निर्माताओं के लिए फार्म 'सी' की सुविधा सिर्फ उन माल को क्रय करने के लिए है जिनका उपयोग उस माल के विनिर्माण व प्रसंस्करण में किया जाय जो बेचने के उद्देश्य से हो। क०नि०प्र० द्वारा के०प०प्र०प० में सीमेंट व आयरन एवं स्टील की खरीद के लिए अधिकृत किया जाना अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध होने के साथ ही साथ कमिश्नर वाणिज्य कर के आदेशों के विरुद्ध भी था। क०नि०प्र० में वर्ष 2007–08 से 2009–10 के लिए क०नि०आ० पारित करते समय इस त्रुटि को संज्ञान में नहीं लिया। क०नि०प्र० की इस त्रुटि के परिणामस्वरूप व्यापारी को ₹ 2.98 करोड़ का अनुचित लाभ मिला जैसा कि ।

| I kj . kh 2-15 | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------------------------|---|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| d\lnh; i \th; u i \ek.k i = dh vfu; fer Lohdfr ½d0i 0i 0i 0% | | | | | | | | |
| (₹ yk[k ea) | | | | | | | | |
| ०० । ० | bdkb\l dk uke | ०; ki f\j ; k dh । \l ; k | dj fu\kj\k o"ki (dj fu\kj\k vkns'k dk elg , o\ o"kj) | oLr\l dk uke | Oke\l s vPNkfnr eky dk e\l; | vkj\k\l ; k dj dh nj /\fr'kr\k | vkjkf\l r dj dh nj /\fr'kr\k | de vkjkf\l r dj |
| 1. ज्वा० कमि० (कार्पो०स०) गौतमबुद्ध नगर | 1 | 2007-08 (मार्च 2010) | सीमेंट | 467.86 | 12.0 | 3 | 42.11 | |
| | | | आयरन एवं स्टील | 300.92 | 4.0 | 3 | 3.01 | |
| | | 2007-08(म०सं०क०) (मार्च 2011) | सीमेंट | 37.40 | 12.5 | 3 | 3.55 | |
| | | | सीमेंट | 282.51 | 12.5 | 3 | 26.84 | |
| | | | आयरन एवं स्टील | 285.02 | 4.0 | 3 | 2.85 | |
| | | 2008-09 (अप्रैल 2012) | सीमेंट | 1,023.22 | 12.5 | 2 | 107.44 | |
| | | | आयरन एवं स्टील | 24.44 | 4.0 | 2 | 0.49 | |
| | | 2009-10 (अप्रैल 2013) | सीमेंट | 967.30 | 13.5 | 2 | 111.24 | |
| ; kx | | 1 | | 3,388.67 | | | 297.53 | |

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2013)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

2-8-2 d\lnh; fc\l dh dk de vkjk\l . k

केन्द्रीय बिक्री कर (के०वि०क०) अधिनियम, 1956 के की धारा 8(2) के अन्तर्गत फार्म 'सी' के घोषण पत्रों से अनाच्छादित वस्तुओं की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर (घोषित वस्तुओं के अलावा) राज्य में ऐसी वस्तु की खरीद या बिक्री पर आरोपणीय कर की दर जो कि उस राज्य की बिक्री कर में लागू हो, आरोपणीय होती है।

हमने 10 वार्षिकों के व्यापारियों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच में पाया (दिसम्बर 2010 एवं फरवरी 2014 के मध्य) कि 11 व्यापारियों ने वर्ष 2007–08 (1.1.2008 से 31.3.2008) से 2009–10 की अवधि में ₹ 8.07 करोड़ की अन्तर प्रान्तीय बिक्री बिना फार्म 'सी' के की। क०नि०प्रा० ने फरवरी 2011 एवं मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय के०बि०क० के अन्तर्गत उस दर से आरोपण न करते हुए कम दर से कर का आरोपण किया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 69.37 लाख की राशि का के०बि०क० कम आरोपित हुआ जैसा कि i fjj' k"V-XVI में दर्शाया गया है।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जनवरी 2012 एवं मई 2014 के मध्य)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

2-8-3 dñh; fcØh dj ds vUrxr vFkh.M dk vukjks .k

केन्द्रीय बिक्री कर (के०बि०क०) अधिनियम की धारा 10 एवं 10 ए के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यापारी फार्म 'सी' की घोषणा के आधार पर प्रान्त बाहर से कर की रियायती दर पर कोई माल खरीद सकता है। यदि ऐसा माल के०बि०क० अधिनियम के अन्तर्गत उसको जारी पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं है अथवा प्रान्त बाहर से कर की रियायती दर पर खरीदे गये माल का प्रयोग उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु करता है जिस हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो व्यापारी अभियोजन योग्य होता है। यदि क०नि०प्रा० उचित समझे तो अभियोजन के स्थान पर ऐसे माल की बिक्री पर देय कर के डेढ़ गुने तक का अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

हमने आठ वार्षिकों के व्यापारियों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों कि जाँच में पाया (जून 2012 एवं दिसम्बर 2013 के मध्य) की वर्ष 2004–05 से 2009–10 के दौरान आठ व्यापारियों ने फार्म 'सी' की घोषणा के आधार पर ₹ 1.77 करोड़ का माल के०बि०क० की रियायती दर पर खरीदा जो कि उनके पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं था। क०नि०प्रा० ने मार्च 2008 एवं मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय पंजीयन प्रमाण पत्र और उपभोग किये गये फार्म 'सी' के विवरण की जाँच नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.01 लाख का अर्थदण्ड आरोपित नहीं हुआ। जैसा की विवरण i fjj' k"V-XVII में दर्शाया गया है।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2012 एवं फरवरी 2014 के मध्य)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

2-9 C; kt ds i Hkkfjr fd; s tkus eI vfu; ferrk

क०नि०प्रा० ने कर निर्धारण करते समय व्यापारियों द्वारा किये गये अपराधों पर ध्यान नहीं दिया जैसा कि ब्याज का कम/न प्रभारित किया जाना, कम ब्याज का माँग किया जाना, बैंक गारन्टी के नगदीकरण पर ब्याज का प्रभारित न किया जाने का संव्यवहार उ०प्र० व्यारोक० और उ०प्र० मू०सं०क० अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल संव्यवहार आदि। यद्यपि कि अधिनियम में ब्याज के प्रभारित किये जाने हेतु स्पष्ट प्रावधान हैं, फिर भी सम्बन्धित क०नि०प्रा० ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 76.94 लाख के ब्याज प्रभारित नहीं हुआ जैसा कि अग्रेतर प्रस्तरों में उल्लिखित है।

2-9-1 C; kt dk de@u i Hkkfjr fd; k tkuk

उ०प्र० मू०सं०क० अधिनियम 2008 की धारा 33(2) एवं उ०प्र० व्यारोक० की धारा 8(1) के अन्तर्गत कर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यापारी को देय तिथि की समाप्ति से पहले ऐसी कर की धनराशि को राजकीय कोष में जमा कर देना चाहिए। स्वीकृत रूप में देय कर यदि व्यापारी द्वारा देय तिथि तक जमा नहीं किया जाता है तो असंदर्भ धनराशि पर निर्धारित अंतिम दिनांक के ठीक अगले दिनांक से ऐसी धनराशि के भुगतान के दिनांक तक प्रतिमाह सवा प्रतिशत (11 अगस्त 2004 तक दो प्रतिशत

प्रतिमाह और उसके पश्चात 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष उ0प्र0 व्यापको के समय) की दर से साधारण ब्याज देय होता है।

हमने नौ वापकोका के व्यापारियों द्वारा दाखिल क0नि0 पत्रावली एवं विवरणी की जाँच में पाया (नवम्बर 2012 एवं अक्टूबर 2013 के मध्य) कि 13 व्यापारियों द्वारा वर्ष 2002–03 से 2010–11 के दौरान स्वीकृत कर ₹ 1.13 करोड़ तीन माह 12 दिन से चार वर्ष तीन माह तक विलम्ब से जमा किया। स्वीकृत कर विलम्ब से जमा किये जाने के कारण विलम्ब की तिथि तक ₹ 30.32 लाख का ब्याज आकर्षित होता है। क0नि0प्र0 ने जनवरी 2011 एवं फरवरी 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय इसको संज्ञान में नहीं लिया गया। जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 30.32 लाख का ब्याज कम/न प्रभारित किया गया जैसा कि **i fjf' k"V-XVIII** में दर्शाया गया है।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (मार्च 2013 एवं दिसम्बर 2013 के मध्य)। विभाग ने उत्तर में बाताया कि ज्वापकमि0 (कार्पोसं0) मेरठ और डिकमि0 खण्ड-1 वाराणसी में ₹ 2.45 लाख के ब्याज को प्रभारित किया एवं शेष मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

2-9-2 ol myh i ek.k i = e8 C; kt dh de ekx ds QyLo: i C; kt dk de vkj ksj .k

उ0प्र0 मू0सं0को 0 अधिनियम 2008 की धारा 33(2) के अन्तर्गत कर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यापारी को देय तिथि की समाप्ति से पहले ऐसी कर की धनराशि को राजकीय कोष में जमा कर देना चाहिए। स्वीकृत रूप में देय कर यदि व्यापारी द्वारा देय तिथि तक जमा नहीं किया जाता है तो असंदत्त धनराशि पर निर्धारित अंतिम दिनांक के ठीक अगले दिनांक से ऐसी धनराशि के भुगतान के दिनांक तक प्रतिमाह सवा प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज आकर्षित होता है।

हमने ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्पोस0) वाणिज्य कर, बरेली के कार्यालय के व्यापारियों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावली की जाँच में पाया (सितम्बर 2013) कि क0नि0प्र0 ने दो व्यापारियों के वर्ष 2008–09 तथा 2009–10 की अवधि का जून 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय स्वीकृत बिक्री पर कर आरोपित किया। जबकि, व्यापारी ने कर को समय से जमा नहीं किया तथा इस विफलता पर क0नि0प्र0 ने ₹ 17.34 लाख के स्वीकृत की वसूली के लिए वसूली प्रमाण पत्र जारी किया लेकिन तीन वर्ष आठ माह से तीन वर्ष नौ माह की विलम्बित अवधि के लिए ₹ 9.83 लाख ब्याज की मांग वसूली प्रमाण पत्र में नहीं की। जैसा कि **I kj .kh 2-16** में दर्शाया गया है।

I kj .kh 2-16

ol myh i ek.k i = e8 C; kt dh de ekx ds QyLo: i de C; kt dk i Hkkfjr fd; k tkuk (₹ yk[k es)

| 00 ।। | dk; kdy; dk uke | 0; ki kj h dh I d | dj fu/kkj.k o"kl dj fu/kkj.k vkns'k dk ekg ,o o"kl | dj dh /kuj kf'k | dj dh ns frfFk | ol myh i ek.k i = e8 C; kt i Hkkfjr dh frfFk | foyEc dh vof/k fnuka es | i Hkkj .kh; C; kt |
|----------|---|----------------------|---|-----------------|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| 1. | ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्पोस0) वाणिज्य कर, बरेली | 1 | 2008-09 (जून- 2012) | 13.57 | 1 अक्टूबर 2008 | 21 जुलाई 2012 | 1,389 | 7.75 |
| | | 1 | 2009-10 (मार्च- 2013) | 3.77 | 1 अक्टूबर 2009 | 3 जून 2013 | 1,341 | 2.08 |
| | ; kx | 2 | | 17.34 | | | 9.83 | |

ज्ञात: लेखापरीका परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2013)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

2-9-3 cld xkj .Vh ds udnhdj .k i j C; kt dk i Hkkfjr u fd; k tkuk

उ0प्र0 मू0सं0को 0 अधिनियम की धारा 33(2) एवं उ0प्र0 व्यापो कर अधिनियम की धारा 8(1) के अन्तर्गत प्रत्येक ऐसे व्यापारी से जिस पर कर के भुगतान का दायित्व है अपेक्षा

की जाती है कि वह देय तिथि की समाप्ति के पूर्व कर की धनराशि कोषागार में जमा करें ऐसा न करने पर निर्धारित अन्तिम तिथि के ठीक अगले दिन से जमा की तिथि तक जमा न की गई धनराशि पर सवा प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज (उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की अवधि में 14 प्रतिशत वार्षिक) देय होता है।

मा० उच्च न्यायालय में अधिसूचित वस्तुओं के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर कर आरोपित करने के उ0प्र0 सरकार की विधायी सक्षमता को चुनौती दी गयी। मा० उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2007 एवं मई 2010 के मध्य मामले की प्रारम्भिक सुनवायी पर व्यापारियों को विवादित प्रवेश कर बैंक गारण्टी(बै०ग0)/सावधि जमा रसीद के रूप में जमा करने का आदेश दिया। मा० उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश (दिसम्बर 2011) में उ0प्र0 सरकार के द्वारा उक्त प्रवेश कर आरोपित करने की सक्षमता को सही ठहराया गया। मा० उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के क्रम में सम्बन्धित मामलों में प्रवेश कर आरोपणीय/देय था। अतः जहाँ विवादित प्रवेश कर बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद के रूप में जमा की गयी थी उन मामलों में क0नि०प्रा० द्वारा उ0प्र0 माल के प्रवेश पर कर अधिनियम की धारा-9(4) के अन्तर्गत आदेश पारित करना अपेक्षित था।

हमने तीन वा०क0का० की जाँच में पाया (फरवरी 2013 एवं अक्टूबर 2013 के मध्य) कि मा० उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के पश्चात क0नि०प्रा० ने तीन व्यापारियों के मामले में बैंक गारण्टी का नकदीकरण कराया। यद्यपि स्वीकृत कर ₹ 77.85 लाख दो वर्ष 10 माह से तीन वर्ष चार माह तक के विलम्ब के पश्चात शासकीय कोषागार में जमा किया गया फिर भी क0नि०प्रा० शासकीय खाते में विलम्ब से जमा स्वीकृत कर पर ₹ 36.79 लाख का ब्याज प्रभारित नहीं किया जैसा कि । kj . kh&2-17 में दर्शाया गया है।

I kj . kh 2-17

cid xlj . Vh ds udnhdj .k i j c; kt dk i kkkfjr u fd; k tkuk

(₹ yk[k e]

| 001 | 0 | bdkbl dk uke | 0; ki fij ; k dli f; k | dj fu/kkj .k o"kl %dj fu/kkj .k vkn'k dk ekg , o"kl | foyEc ts tek /kuj kf' k | tek dh ns frffk | cld xkj lVh uxnh dj .k dk fnukd | foyEc c; kt dh nj vof/k fnuka e; | dy vkj k. kh; c; kt |
|-----|-------------------------|--------------|--------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1 | डिकमि० खण्ड-7 इलाहाबाद | 1 | 2008-09 (जून 2012) | 25.00 | 27 जनवरी 2012 | 1 अप्रैल 2009 से 27 जनवरी 2012 | 1,032 | 15 | 10.60 |
| 2 | डिकमि० खण्ड-2 गाजियाबाद | 1 | 2008-09 (मई 2012) | 16.85 | 17 जनवरी 2012 | 1 अक्टूबर 2009 से 17 जनवरी 2012 | 1,218 | 15 | 8.44 |
| 3 | डिकमि० खण्ड-5 गोरखपुर | 1 | 2008-09 (मार्च 2012) | 36.00 | 1अक्टूबर 2008 | 1 अक्टूबर 2008 से 14 जनवरी 2012 | 1,200 | 15 | 17.75 |
| | ; kx | 3 | | 77.85 | | | | | 36.79 |

ज्ञात: लेखापरीका परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2013 एवं जनवरी 2014 के मध्य)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

2-10 xyr@feF; k bui V VDI ØfMV ¼vkbDVh01 h0% ds nkos ds ekeys

2-10-1 d0fu0i k0 }kj k I Kku ei u fy; s tkus okys xyr@feF; k vkbDVh01 h0 ds nkos ds ekeys

उ0प्र0 मू०सं०क0 अधिनियम 2008 की धारा 13 सप्टित उ0प्र0 मू०सं०क0 नियमावली 2008 के नियम 24 के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा टैक्स इनवाइस के विरुद्ध पंजीकृत व्यापारियों से की गई खरीद पर दिये गये कर या अपंजीकृत व्यापारियों से की गयी खरीद पर नकद जमा धनराशि पर उनके द्वारा की गई खरीद या बिक्री पर संदत या

संदेय कर की सीमा तक आईटी0सी0 का लाभ अनुमन्य है। अधिनियम की धारा 14(2) के अन्तर्गत यदि किसी माल के सम्बन्ध में गलत तरीके से आईटी0सी0 का दावा किया है तो आईटी0सी0 का लाभ उस सीमा तक जहाँ तक अनुमन्य नहीं है, उत्क्रमित किया जाएगा। सपष्टित उ0प्र0 मू0सं0क0 नियमावली के नियम 21, 22, 23 एवं 25 में अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में, दावाकृत आईटी0सी0 को उत्क्रमित किए जाने का प्रावधान है। मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54(1)(19) के अन्तर्गत यदि क0नि0प्रा0 संतुष्ट है कि जहाँ, यथास्थिति, कोई व्यापारी अथवा कोई अन्य व्यक्ति आईटी0सी0 के रूप में मिथ्या या कपटपूर्ण तरीके से धनराशि का दावा करता है, वह निर्देशित कर सकता है कि ऐसा व्यापारी या व्यक्ति, उसके द्वारा देयकर के अतिरिक्त, यदि कोई हो, अर्थदण्ड के रूप में आईटी0सी0 की धनराशि के पाँच गुने के बराबर धनराशि का भुगतान करेगा। उत्क्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में जिस दिनांक को धनराशि जमा की गई हो को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज सहित उत्क्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट को जमा करने का दायी होगा।

हमने 15 वार्षिकों से व्यापारियों से सम्बन्धित क0नि0प्रा0 एवं पत्रावलियों कि जाँच में पाया (अप्रैल 2012 एवं दिसम्बर 2013 के मध्य) कि 15 व्यापारियों के मामले में वर्ष 2008–09 से 2010–11 में ₹ 1.94 करोड़ की आईटी0सी0 का पूरा दावा किया था। क0नि0प्रा0 ने नवम्बर 2011 एवं मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय व्यापारियों द्वारा दावाकृत आईटी0सी0 का प्रति सत्यापन नहीं किया और ₹ 1.94 करोड़ की मिथ्या एवं कपटपूर्ण आईटी0सी0 को अनुमन्य की। यह आईटी0सी0 का दावा मिथ्या / कपटपूर्ण आधार पर जैसे कि छूट, प्रोत्साहन, कटौती, क्रेडिट नोट, क्षतिग्रस्त माल, स्टाक अन्तरण, फर्जी खरीद, विगत वर्ष से लायी गयी गलत आईटी0सी0, प्रयोग के अधिकार पर आईटी0सी0 का दावा, पूँजीगत माल पर आईटी0सी0 एवं आईटी0सी0 के सम्बन्ध में प्रस्तुत झूटा विवरण जो कि अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के विपरीत थी। इस प्रकार मिथ्या दावा ₹ 12.41 करोड़ (आरोआईटी0सी0 ₹ 194.00 लाख ब्याज ₹ 82.58 लाख एवं अर्थदण्ड ₹ 964.03 लाख) की उत्क्रमित आईटी0सी0, अनारोपित अर्थदण्ड और प्रभारित न किया गया ब्याज आकर्षित होता है जैसा कि **i fjf'k"V&XIX** में दर्शाया गया है।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (फरवरी 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

2-10-2 d0fu0i k0 }jk | Kku e;q fy; s tkus okys ekeys ij vFkh.M dk vukjki .k

हमने 17 वार्षिकों के व्यापारी से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच में पाया (जनवरी 2013 एवं दिसम्बर 2013 के मध्य) कि 28 व्यापारियों के मामले में वर्ष 2007–08 (1.1.2008 से 31.3.2008) से 2010–11 में क0नि0प्रा0 ने मार्च 2011 एवं मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय व्यापारियों द्वारा दावाकृत आईटी0सी0 के प्रति सत्यापन में पाया गया कि व्यापारियों ने कपटपूर्ण तरीके से ₹ 1.72 करोड़ की आईटी0सी0 का दावा किया था। यद्यपि क0नि0प्रा0 द्वारा आईटी0सी0 उत्क्रमित कर दी गई थी लेकिन ₹ 8.62 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जैसा कि **i fjf'k"V&XX** में दर्शाया गया है।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य)। विभाग ने उत्तर में बताया कि डिक्रिमित नजीबाबाद द्वारा ₹ 25.85 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया एवं शेष मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

2-10-3 fo'kšk vklffkld tku dks fcØh ij xj&vuel; buiV VDI ØfMV dks C; kt I fgr mRØfer u fd; k tkuk

उत्तर प्रदेश मूल्य सर्वाधित कर अधिनियम 2008 की धारा-13(7) के अन्तर्गत, किसी माल के क्रय के सम्बन्ध किसी व्यापारी को इन्पुट टैक्स क्रेडिट की किसी सुविधा की अनुमति नहीं दी जायेगी, जहाँ अधिनियम की धारा 7 के खण्ड (ग) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना (सं0क0नि0-2-2027 /ग्यारह-9(15)/08-यूपी0अधि-5-2008 आदेश-(26) -2008) के अधीन व्यापारी द्वारा ऐसे माल का विक्रय किया जाना कर के भुगतान से मुक्त हों। पुनर्श्चः अधिनियम की धारा-14(2) के अन्तर्गत यदि व्यापारी ने किसी माल के सम्बन्ध में आई0टी0सी0 का गलत दावा किया है तो ऐसी आई0टी0सी0 अनुमन्य नहीं है तथा उत्क्रमित होगी जो 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भी देय होगा।

हमने दो वार्षिकों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच में पाया (अगस्त 2013) कि तीन व्यापारियों ने वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान विशेष अर्थिक जोन को प्रान्तीय खरीद ₹ 4.24 करोड़ के माल का विक्रय किया गया एवं उक्त विक्रय में लगे माल पर ₹ 20.59 लाख आई0टी0सी0 का दावा किया गया है जोकि उक्त पर अनुमन्य नहीं थी। क0नि0प्रा0 से अप्रैल 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय यह अपेक्षित था कि इस गैर अनुमन्य आई0टी0सी0 को उत्क्रमित करते तथा कर को ब्याज सहित जमा करने का आदेश देते। हमने देखा कि सभी तीन मामलों में क0नि0प्रा0 ने न तो ₹ 20.59 लाख आई0टी0सी0 उत्क्रमित की तथा विलम्ब की अवधि तीन वर्ष चार माह तथा नौ दिन से लेकर चार वर्ष चार माह तथा 25 दिन तक होने के बावजूद न ही ₹ 11.11 लाख ब्याज प्रभारित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 31.71 लाख की आरोआई0टी0सी0 एवं ब्याज (आरोआई0टी0सी0 ₹ 20.60 लाख, ₹ 11.11 लाख) कम अरोपित हुआ जैसा कि 1 kj.kh 2-18 में दर्शाया गया है।

I kj.kh 2-18

fo'kšk vklffkld tku 1fo0vk0tk0% dks fcØh ij xj&vuel; buiV VDI ØfMV dks C; kt I fgr mRØfer u fd; k tkuk

| | | | | | | (₹) क्रमांक | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 00 10 | dk; kly; dk uke | 0; kifj; k dh I f; k | dj fu/kkj.k o"kl(dj fu/kkj.k vknk dk ekg , oa"kl) | i kUrt; [kjhn dh dly /kujf'k ftl dk mi ; lk fo0vk0tk0 dks foØ; e fd; k x; k | d0 fu0 v0 }jk mRØfer u dh x; h vkbDVh01 h0 dh jkf'k tks fd fo0vk0tk0 dks i kUrt; [kjhn ds eky dh foØ; e fd; k x; k | foyc dh vof/k 1fnuka e% | i Hkj.kh; C; kt 1/5 ifr kr ifr o"kl | | | |
| 1. डिंकेम0 खण्ड-7 गाजियाबाद | 1 | 2009-10 (जून 2012) | 235.51 | 10.32 | 1,240 | 5.26 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2. डिंकेम0 खण्ड-6 नोएडा | 1 | 2008-09 (अप्रैल 2012) 2009-10 (मार्च 2013) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 10x | 3 | 423.46 | 20.60 | 11.11 | | | | | |

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2013 एवं नवम्बर 2013 के मध्य)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। (दिसम्बर 2014)।

2-10-4 LVkd vUlj.k ij xj vuell; vkbDVh01 h0 dk de mRØfer fd; k
tkuk Rkfkk C; kt dk iHkjfjr u fd; k tkuk

उत्तर प्रदेश मूल्य सर्वाधित कर अधिनियम की धारा-13 (संशोधित प्रभावी दिनांक 28.02.2009) के अन्तर्गत राज्य के भीतर से क्रय किये गये कर योग्य माल का प्रान्त बाहर पारेषण या अन्तरण तथा विनिर्माण में प्रयोग से निर्भित माल का पारेषण या अन्तरण की

दशा में आई0टी0सी0 की आंशिक धनराशि जो क्रय मूल्य के चार प्रतिशत से अधिक है, की सीमा तक आई0टी0सी0 की धनराशि अनुमन्य है। पुनश्च: अधिनियम की धारा 14(2) के अन्तर्गत यदि व्यापारी ने किसी माल के सम्बन्ध में आई0टी0सी0 का गलत दावा किया है तो ऐसी आई0टी0सी0 अनुमन्य नहीं होगी इसके साथ 15 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज भी देय होगा।

हमने सात वाणिज्य कर कार्यालयों में व्यापारियों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच में पाया (मई 2013 एवं दिसम्बर 2013 के मध्य) कि सात व्यापारियों द्वारा वर्ष 2008–09 व 2009–10 के दौरान आई0टी0सी0 का ₹ 48.03 लाख का गलत दावा किया जो कि स्टाक अन्तरण पर अनुमन्य नहीं था। कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा मार्च 2012 एवं जुलाई 2012 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय यह अपेक्षित था कि इस गैर अनुमन्य आई0टी0सी0 को उत्क्रमित करे तथा व्यापारी को ब्याज सहित भुगतान के लिए निर्देशित करें। इसके परिणामस्वरूप ₹ 74.35 लाख (आर0आई0टी0सी0 ₹ 48.03 लाख और ब्याज ₹ 26.32 लाख) आई0टी0सी0 कम उत्क्रमित हुआ एवं देय ब्याज अनारोपित रहा जैसा कि i fjk' k"V& XXI में दर्शाया गया है।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

2-11 dj fu/kkj.k i kf/kdkjh }jk k vI R; pkyku i j Lohdr dj dk ykk fn; k tkuk

उ0प्र0 मू0सं0क0 2008 की धारा 33(2) के अन्तर्गत कर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यापारी को देय तिथि की समाप्ति से पहले ऐसी कर की धनराशि को राजकीय कोष में जमा कर देना चाहिए। स्वीकृत रूप में देय कर यदि व्यापारी द्वारा देय तिथि तक जमा नहीं किया जाता है तो असंदत्त धनराशि पर निर्धारित अंतिम दिनांक के ठीक अगले दिनांक से ऐसी धनराशि के भुगतान के दिनांक तक सवा प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज आकर्षित होता है।

हमने ज्वाकमि0 (कार्पो0सं0) वाक0 के व्यापारियों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच में पाया (अगस्त 2013) कि एक व्यापारी अपने स्वीकृत कर के दायित्व के प्रति दिनांक 29 अप्रैल 2009 का ₹ 2.15 लाख के असत्य चालान को प्रस्तुत किया। कर निर्धारण प्राधिकारी ने (मार्च 2013) कर निर्धारण करते समय दिनांक 29 अप्रैल 2009 के ₹ 2.15 लाख के असत्य चालान का लाभ प्रदान किया जिस पर कोई चालान संख्या अंकित नहीं थी। अग्रेतर इस बात की पुष्टी फैजाबाद के कोषागार के अभिलेखों की परस्पर जाँच में पाया गया कि यह धनराशि कोषागार में जमा नहीं की गयी। पुनश्च: क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण आदेश पारित करते समय यह निर्देश खाता पालक को दिया कि इसका सत्यापन डी0सी0आर0 (डैनिक संग्रह रजिस्टर) से करा लिया जाय परन्तु यह निर्देश नहीं दिया कि इसका सत्यापन सम्बन्धित कोषागार से भी कराया जाय। इसके परिणामस्वरूप जो धनराशि कोषागार में जमा नहीं की गयी थी उसका लाभ व्यापारी द्वारा गलत तरीके से लिया गया एवं विभाग द्वारा भी अनुमन्य किया गया। इस प्रकार क0नि0प्रा0 द्वारा गलत चालान पर स्वीकृत कर का लाभ व्यापारी को दिया गया जो कि व्यापारी द्वारा स्वीकृत कर ₹ 2.15 लाख जमा नहीं किया गया।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अक्टूबर 2013)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

2-12 fu/kkj r if0; k ds detkj vuqlo.k I s foHkkx }jk k vkj kfir jkf' k dk u ol y fd; k tkuk

उत्तर प्रदेश मूल्य सर्वाधित कर अधिनियम 2008 की धारा-33 के अन्तर्गत कर अथवा शुल्क अथवा अर्थदण्ड अथवा इस अधिनियम के अधीन कोई अन्य राशि का भुगतान

करने वाले व्यापारी अथवा अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपना स्वीकृत कर निर्धारित समय के भीतर जमा करेगा। इस अधिनियम के अधीन भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली योग्य किसी राशि के सम्बन्ध में, कर निर्धारण प्राधिकारी कलेक्टर को अपने हस्ताक्षर के साथ देय धनराशि को विनिर्दिष्ट करते हुये एक प्रमाण-पत्र अप्रेसित कर सकता है। कलेक्टर उक्त प्रमाण-पत्र के प्राप्त होने पर ऐसे व्यक्ति से उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि की वसूली करने की कार्यवाही इस प्रकार करेगा मानों वह राशि भू-राजस्व का बकाया हो।

हमने 103 वाणिज्य कर कार्यालयों¹⁵ के व्यापारी से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच में पाया (अप्रैल 2013 एवं मार्च 2014 के मध्य) कि वर्ष 2010–11 से 2012–13 के दौरान 929 मामलों जो 700 व्यापारियों से सम्बन्धित थे, के वर्ष 2008–09 से 2012–13 के बादों पर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत ₹ 58.55 करोड़ अर्थदण्ड आरोपित किया गया। परन्तु उक्त में से 832 मामलों में ₹ 4.85 करोड़ अर्थदण्ड की वसूली की कोई कार्यवाही नहीं की गयी एवं 97 मामलों में ₹ 53.65 करोड़ अर्थदण्ड के वसूली प्रमाण पत्र तो जारी किये गये परन्तु वसूली नहीं हुई थी एवं वसूली की अद्यतन स्थिति से सम्बन्धित जानकारी कर निर्धारण अधिकारी के पास नहीं थी। शेष धनराशि ₹ पाँच लाख पर विभाग को कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार विभाग द्वारा आरोपित राशि का न वसूल किया जाना निर्धारित प्रक्रिया के कमजोर अनुश्रवण को दर्शाता है।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2013 एवं जनवरी 2014 के मध्य)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

2-13 foyEc l s tek l deI l fonk dj ij vFkh.M dk vujkjk .k

उ0प्र0 व्या0क0 अधिनियम की धारा-8 डी (6) एवं उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 34(8) के अन्तर्गत, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी संविदाकार को संकर्म संविदा के अनुपालन में किसी माल के स्वामित्व के अन्तरण के लिए देय मूल्यवान प्रतिफल के विरुद्ध किसी दायित्व निर्वहन में भुगतान के लिए उत्तरदायी हो ऐसी संकर्म संविदा के लिए अधिनियम के अन्तर्गत देय धनराशि में से चार प्रतिशत की कटौती करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार काटी जाने वाली राशि की कटौती करने में असफल रहता है या कटौती के उपरान्त इस प्रकार काटी गयी राशि को कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह की समाप्ति के पूर्व तथा और कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह के 20वें दिन की समाप्ति के पूर्व कोषागार में जमा करने में असफल रहता है तो क0नि0प्रा0 ऐसे व्यक्ति को अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार काटी गयी धनराशि के दो गुने से अनधिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

हमने 24 वा0क0का0 में व्यापारियों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच में पाया (फरवरी 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य) कि 28 व्यापारियों ने वर्ष 2007–08 से 2010–11 के दौरान संविदाकारों को भुगतान करते समय स्रोत पर ₹ 4.37 करोड़ के संकर्म संविदा कर की कटौती की परन्तु उसे निर्धारित समयावधि के अन्दर शासकीय कोषागार में जमा नहीं किया। विलम्ब की अवधि पाँच दिन से आठ महीना और 10 दिन तक की थी। कर निर्धारण प्राधिकारी ने मई 2010 एवं मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय ₹ 8.74 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया, जैसा कि i f j f' k"V& XXII में दर्शाया गया है।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (मार्च 2013 एवं अप्रैल 2014 के मध्य)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

¹⁵ आगरा(2), अलीगढ़(3), इलाहाबाद(4), अम्बेडकर नगर(1), आजमगढ़ (4) बहराईच (3), बाराबंकी(1), बरौत (1), बस्ती(1), भदोई(1), बुलन्दशहर (4), छोशोमा० नगर(1), चन्दौली(3), डिवाई(1), देवरियां(3), एटा(1), इटावा(5), फैजाबाद(2), फिरोजाबाद(3), गौतमबुद्धनगर(1), गाजियाबाद(4), गाजीपुर(3), गोरखपुर(3), गोण्डा(2), हरदोई (2), जैनपुर(5) कानपुर(4), लखीपुरखीरी(1), ललितपुर(1), लखनऊ(7) महाराजगंज(1), मथुरा(2), मऊ(2), मिर्जापुर(5), मुरादाबाद(2), नोयडा(5) सहारनपुर(1), संतकबीर नगर(1), सिद्धार्थनगर(1), सोनभद्र(3) और वाराणसी (3)।

2-14 de dkVs x; s l de l fonk dj ij vFkh.M dk vukjkis .k

उ0प्र0 व्याक0 अधिनियम की धारा-8 डी (6) एवं उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 34(8) के अन्तर्गत, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी संविदाकार को संकर्म संविदा के अनुपालन में किसी माल के स्वामित्व के अन्तरण के लिए देय मूल्यवान प्रतिफल के विरुद्ध किसी दायित्व निर्वहन में भुगतान के लिए उत्तरदायी हो ऐसी सकर्म संविदा के लिए अधिनियम के अन्तर्गत देय धनराशि में से चार प्रतिशत की कटौती करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार काटी जाने वाली राशि की कटौती करने में असफल रहता है या कटौती के उपरान्त इस प्रकार काटी गयी राशि को कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह की समाप्ति के पूर्व तथा और कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह के 20वें दिन की समाप्ति के पूर्व कोषागार में जमा करने में असफल रहता है तो क0नि0प्रा0 ऐसे व्यक्ति को अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार काटी गयी धनराशि के दो गुने से अनधिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

हमने असि0कमि0 खण्ड-1 नजीबाबाद के व्यापारी से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावली की जाँच में पाया (मार्च 2013) कि वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान दो व्यापारी द्वारा संविदाकार को ₹ 28.64 करोड़ का भुगतान करते समय स्रोत पर ₹ 73.05 लाख के कर की कटौती की गयी। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत स्रोत पर चार प्रतिशत की दर से ₹ 1.15 करोड़ के कर की कटौती करके जमा किया जाना अपेक्षित था। क0नि0प्रा0 ने मार्च 2010 एवं अक्टूबर 2011 के मध्य कर निर्धारण करते समय स्रोत पर की गयी कर की कम कटौती ₹ 41.52 लाख पर ध्यान नहीं दिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 41.52 लाख के कर के कम आरोपण के साथ साथ ₹ 83.04 लाख के अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ जैसा कि। | kj . kh 2-19 में दर्शाया गया है।

| kj . kh 2-19

de dkVs x; s l de l fonk dj ij vFkh.M dk vukjkis .k

| (₹ yk [k e]) | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|---|--|-------------------------|
| 00 । ॥ | bdkbZ dk uke | 0: ki kfj ; k dth l d; k | dj fu/kfj . k o"kl %dj fu/kfj . k vkn's k dk ekg , o"kl | Hkkrku fd; k x; k | I kr i j dj dh tkus okh dVkh@ @l kr i j dh x; h dVkh | I kr i j dj dh dVkh u fd; k tkuk | vFkh.M dk vukjkis .k |
| 1 | असि0कमि0 खण्ड-1 नजीबाबाद | 1 | 2008-09 (अक्टूबर 2011) | 769.25 | 30.77 | 14.17 | 28.34 |
| | | 1 | 2007-08 (मार्च 2010) | 2,094.94 | 16.60 83.80 56.45 | 27.35 | 54.70 |
| | | ; kx | 2 | 2,864.19 | 114.56 | 41.52 | 83.04 |
| | | | | | 73.05 | | |

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2013)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।